खण्ड-449, अंक-7
शुक्रवार, 08 श्रावण, शक संवत् 1926
(30 जुलाई, 2004 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 449 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ट-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास (जारी)	1
प्रश्नोत्तर	1-12
विधान सभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल को बधाई	12-18
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास (जारी)	18
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	18
अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के 2003-2004 में कतिपय स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	19
गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर के पास गोधनी नदी पर पुल बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	19
शाहजहांपुर में नगर के बीच आबादी वाले क्षेत्र ककरा से पशु वधशाला हटाकर अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	19
हरदोई के विकास खण्ड भरावन के सीमावर्ती भटपुर-नेवादा मार्ग के अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	20
बलिया में घाघरा नदी की बाढ़ को रोकने वाले कतिपय बांधों की तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	20
सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुगलापुर के नसीम अहमद की पिपरमिंट की टंकी फटने से हुई आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	20-21
प्रदेश के आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों में भूखण्ड/भवन की रजिस्ट्री आवंटन के समय प्रचलित सर्किल रेट पर कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21
दिनांक 28 जुलाई, 2004 को वाराणसी में विद्युत कटौती से पानी की समस्या उत्पन्न होने विषयक उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन का कार्यान्वयन सुनिश्चित न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	21-22
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	22

विषय	पृष्ट-संख्या
विधान सभा में साऊण्ड सिस्टम के ठीक से काम न करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	20-23
विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	23
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण तथा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2004 .... (पुरःस्थापित)	24
नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	24-46
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 ..... (जारी) ...	46
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	46-47
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 ..... (पारित) ...	47-51
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 ..... (जारी) ...	51
मैनपुरी जिलान्तर्गत कुसहरा टाउन एरिया में भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री और सभासद श्री अवध शुक्ल की हत्या विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	51-52
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 ..... (पारित) ...	52-54
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	54
ग्राम महरुआ थाना बेवाना विधान सभा क्षेत्र कटेहरी जनपद अम्बेदकर नगर की निवासी शोभावती के साथ अत्याचार व उसकी हत्या विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	54-55
प्रदेश में सूखे से प्रभावित किसानों का उत्पीड़न किये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	55
"विधायक निधि" के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन ...	56
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	56-58
नत्थी	59-62

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-331

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थ नगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	जौनपुर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर

ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र, बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जगशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्धनगर
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्धनगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रार्गी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह,	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर

मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ

लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला, "भगत राजा"	ललितपुर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शि५ प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (बै...श डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कटेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ

सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर	"हरीश जी", श्री	वाराणसी
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- श्री राम प्यारे सिंह पर्यावरण मंत्री, श्री बनवारी सिंह यादव प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री, श्री राम आसरे विश्वकर्मा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री तथा श्री अजीत कुमार राजू बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2004

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने नियम-311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, प्रदेश में पेयजल से सम्बन्धित सबसे महत्वपूर्ण योजना कानपुर-गंगा बैराज से सम्बन्धित है, आपने कृपा पूर्वक कल उसे स्वीकार भी किया था और कहा कि आप उसे बाद में ले लेंगे। मान्यवर, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 दूसरे नियमों में परिवर्तित कर दिया गया है और जीरो ऑवर में आपको सुना जायेगा।

श्री अशोक सिंह चौहान-

मान्यवर, आज सुबह साढ़े आठ बजे मैनपुरी जनपद में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और उसके साथ उसके एक साथी की भी हत्या कर दी गई।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बैठ जायें, आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय का निर्वाचन भी है, अभी प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नकाल खत्म हो जाने दीजिए। उसके बाद आप अपनी बात कह लीजिएगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्य निर्धारण का अधिकार एवं देय ब्याज के भुगतान की कार्यवाही की मांग

**1-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्य निर्धारण के अधिकार को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2002-2003 एवं 2003-2004 का चीनी मिलों पर अवशेष गन्ना मूल्य एवं उस पर देय ब्याज के भुगतान हेतु कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो भुगतान की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री स्वामी ओइमवेश)-

जी हां, प्रदेश सरकार द्वारा संघ/निगम की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2003-2004 हेतु निर्धारित गन्ना मूल्य निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए भी लागू करने का शासनादेश दिनांक 30-6-2004 को निर्गत कर दिया गया है। पेराई सत्र 2002-2003 के लिए निर्धारित गन्ना मूल्य पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित है, जिसे निरस्त कराने के लिये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रार्थना-पत्र दिया गया है।

जहां तक अवशेष गन्ना मूल्य पर देय ब्याज का प्रश्न है, शुगरकेन (कंट्रोल) आर्डर 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत 14 दिन से अधिक विलम्बित अवधि पर ब्याज देने का प्राविधान है। इन प्राविधानों के तहत कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये हैं।

अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों के स्तर से निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की बैठक कर उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे 31 जुलाई, 04 तक भुगतान सुनिश्चित करें। राज्य सरकार स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक भी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक तो मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो उत्तर की पहली पंक्ति में कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा संघ/निगम की चीनी मिलों के लिये पेराई सत्र 2003-2004 हेतु निर्धारित गन्ना मूल्य निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए भी लागू करने का शासनादेश दिनांक 30-6-2004 को निर्गत कर दिया गया है।

मान्यवर, यह गन्ना मूल्य का निर्धारण किस वर्ष के लिए कब किया गया था, किस स्तर पर किया गया था और किसने किया, आज तक हमें यह जानकारी नहीं है ? वर्ष 2002-2003 में तो यह हुआ था, लेकिन 2003-2004 में गन्ना मूल्य का निर्धारण किस स्तर से किया गया और किसने, कब किया और गन्ना मूल्य क्या था ?

श्री स्वामी ओइमवेश-

मान्यवर, 95 और 100 रुपये का रेट संघ और दूसरी सरकारी मिलों के लिए तय किया गया था वही निजी मिलों के लिए भी 95 और 100 किया गया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो संघ और चीनी मिलों के लिए मूल्य निर्धारित किया गया है। 2003-2004 के लिए उसमें सरकार ने कब निर्णय लिया कि यह मूल्य रहेगा ?

श्री स्वामी ओइमवेश-

मान्यवर, यह निर्णय शुरू में ही ले लिया गया था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्या इसी तरह से उत्तर आयेंगे। मान्यवर, निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है और उसके विभिन्न स्तर हैं। गन्ना मूल्य का निर्धारण मंत्रि-परिषद की सहमति से होता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रि-परिषद द्वारा यह निर्णय किस माह में किस तिथि को लिया गया है ?

श्री स्वामी ओइमवेश-

मान्यवर, इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है। इसे उपलब्ध करा दूंगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर कैबिनेट का डिसीजन होता है उसमें भी आप कह रहे हैं कि जानकारी लेकर बता देंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि इसके लिए सूचना एकत्रित करने की जरूरत है। लेकिन मंत्री जी ने आपसे यह भी कहा है कि इस साल के शुरू में ही इसकी बावत

निर्णय लिया गया है। जिस तारीख को बताने के लिए कहा है वह किसी दिन आपको अलग से बता देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सरकार के काम करने की क्या शैली है वह इससे परिलक्षित होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-49 में दे दीजिए चर्चा के लिए, वह बेहतर होगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ठीक हैं, वह आप नियम 49 में ले लीजिए। लेकिन एक-दो अनुपूरक प्रश्न कर लेने दीजिए।

मान्यवर, जो उत्तर आया है उसकी प्रथम पंक्ति देखने का कष्ट करें। लिखा है- "जी हां। प्रदेश सरकार द्वारा संघ/निगम की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2003-04 हेतु निर्धारित गन्ना मूल्य।" तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निर्धारण कब होगा ? मेरी जानकारी है कि कोई विधिवत निर्धारण नहीं हुआ है और न ही कोई निर्णय हुआ है। मान्यवर, तिथि और माह के बारे में आप बाद में बता देंगे कि कब तय हुआ था। मान्यवर, जो मूल्य भुगतानं किया गया है और जो मूल्य देय है उसमें दो चीजें हैं एस0एम0पी0 के अनुरूप मूल भुगतान हुआ है, एस0एल0पी0 के माध्यम से नहीं हुआ है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। दोनों का कितना पैसा बाकी है ?

श्री स्वामी ओइमवेश-

मान्यवर, 2003-04 में कुल देय 232.68 करोड़ रुपये था, यह अन्तर 95 और 100 रुपये वाला है। अभी तक शेष है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसमें नियम-49 में चर्चा स्वीकार कर ही ली है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी आपका प्रश्न क्या है, आप प्रश्न तो देख लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहता था। गन्ना जैसे महत्वपूर्ण विषय और गन्ना भुगतान जैसा ज्वलन्त प्रश्न अगर यह प्रश्नकाल में स्पष्ट नहीं होता है तो इस पर नियम-49 में आपका निर्णय है, चर्चा हो जायेगी। माननीय मंत्री जी को यह जानकारी न होना कि मंत्रि-मण्डल के किस दिन की बैठक में गन्ना मूल्य का निर्धारण हुआ इससे बड़ी अज्ञानता की बात और नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष-

नियम 49 में लिखकर दे दीजिए, आज ही इस पर चर्चा करा लीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

जो प्रश्न मैं कर रहा हूं इसके उत्तर में लिखा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, पहले आप अपना प्रश्न पढ़ लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने पढ़ लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जब आपने चर्चा के लिए इसे स्वीकार कर लिया है तो इसमें आगे बहस के लिए गुंजाइश नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह तात्कालिक है, एक प्रश्न कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अब सवाल का क्या औचित्य है आपने चर्चा के लिए मान लिया है, चर्चा के लिए सब लोग तैयार हैं तो अब प्रश्न का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया कि नियम 49 में आ जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सवाल आप करने नहीं देंगे, सवाल आप पूंछने नहीं देंगे। एक सवाल करना है, इतनी देर में सवाल हो जाता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष पीठ के निर्णय के खिलाफ आप प्रश्न करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

आप मान्यवर, नियम 49 में चर्चा करा दीजिए, मैं लिखकर भेज रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की बात मान ली है, आप लिखकर न भी दें तो भी उन्होंने मान लिया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, चर्चा मांगी नहीं गयी आपने चर्चा स्वीकार कर ली यह आपका अधिकार है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष पीठ के लिए ऐसी बात कहना बाजपेयी जी जैसे सदस्य के लिए शोभा नहीं देता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक सवाल करना चाहता हूं, यह उत्तर में लिखा है कि 2002-2003 का निर्धारित गन्ना मूल्य पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित है इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि वैकेट करा रहे हैं। मान्यवर, 17 जुलाई, का कल भी प्रश्न आया था। 17 जुलाई को लखनऊ बेंच हाईकोर्ट ने उसकी उस अपील को खारिज कर दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बात आप कल भी सदन में कह चके हैं।

श्री हुकुम सिंह-

कल मैंने डेट नहीं बताई थी आज मैंने डेट बताई है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कल डेट नहीं बता सके आज बताई, माननीय मंत्री जी आज नहीं बता सके कल बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा में इसका उत्तर आ जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं मान्यवर, अगर आप नाराज हो रहे हैं तो मैं सवाल नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-49 में चर्चा स्वीकार हो गयी तो प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, कहिये तो आज ही लगा लेते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

तो अभी करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अभी नहीं।

तारांकित प्रश्न

'क्षेत्र पंचायतों' को विकास कार्यों हेतु सीधे धन उपलब्ध कराने की मांग

*1-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की संचित निधि से ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायतों को ही धन दिया जाता है ? पंचायत राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर "क्षेत्र पंचायत" को यह धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार क्षेत्र पंचायतों को भी विकास कार्यों हेतु सीधे धन उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों व जिला पंचायतों को धन आवंटित किया जाता है। इसी क्रम में क्षेत्र पंचायतों को भी धन आवंटन का निर्णय लिया गया है तथा शासनादेश संख्या-1830/33-3-2004-100(61)/2004, दिनांक 16-7-2004 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर दिये गये हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हम आगे बढ़ गये हैं और माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ रहे हैं। अब आप बैठ जायें। माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनके सामने काफी कुंठा, हताशा, निराशा की पोजीशन खड़ी हो जा रही है। जो ब्लाक प्रमुख के साथ नहीं हैं, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के साथ नहीं हैं, उनके क्षेत्र के विकास कार्य या किसी भी तरह के उत्थान के लिये धन का आवंटन नहीं हो पा रहा है। मैं जानना यह चाहता हूं कि जो क्षेत्र

पंचायत का पूरा पैसा है, क्या सबको बराबर बांटने की सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ? अथवा यह व्यवस्था नहीं की जायेगी, जो ब्लाक प्रमुख के साथ नहीं हैं, क्या वह ऐसे ही उपेक्षित पड़े रहेंगे ? इस पर अपना स्पष्टीकरण दे दें।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, प्रश्न क्षेत्र पंचायत के बारे में था, क्षेत्र पंचायत एक संस्था है, इसमें बैठक के द्वारा निर्णय लिये जाते हैं और बैठक जो होती है, उसमें प्रमुख अध्यक्षता करते हैं, बैठक द्वारा जो पारित प्रस्ताव होते हैं, उन्हीं कार्यों को कराया जाता है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह व्यवहारिक कठिनाई है, लेकिन एक क्षेत्र समिति की बैठक में यहां से कोई निर्णय या कोई मार्ग-निर्देश जारी करना कि इस तरह से कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि समिति के अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि बहुमत की, सर्वसम्मति की राय से उनकी व्यवस्था है। वह चाहे तो बराबर बांट दें, लेकिन बहुमत के आधार पर उनकी एक व्यवस्था है कि जो पारित प्रस्ताव हैं, उन कार्यों को कराया जाता है। यहां से कोई निर्देश देना क्षेत्र पंचायत के अधिकार में दखल देना होगा, वरना कोई कठिनाई नहीं है, आपके सुझाव को लागू करने में।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत 3 संस्थायें हैं, उनका कोई ब्रेकअप निर्धारित है ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, पूर्व में नहीं था, अभी हो गया है। पूर्व में 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत को था, 20 प्रतिशत जिला पंचायत को था, अब उसी में से 10 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत को भी कर दिया गया है। जो राज्य समूची निधि है, जिसे माननीय सदस्य ने संचित निधि कहा था। राज्य की जो सकल आय है, उस पूर्ण आय का साढ़े 12 प्रतिशत स्थानीय निकाय को, ग्रामीण निकाय को धन दिया जाता है उसमें 70 परसेंट ग्राम पंचायतों को, 10 परसेंट क्षेत्र पंचायतों को और 20 परसेंट जिला पंचायतों को देने का प्राविधान है। उसी के अनुसार उन्हें धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है और बहुत जल्दी धन उपलब्ध हो जायेगा।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला पंचायतों को जो भी धन प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है क्या उसमें क्षेत्रीय विधायकों को कोई सुझाव या प्रपोजल देने का आदेश है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या क्षेत्रीय विधायकों को भी भागीदार बनाने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, 73वें और 74वें संविधान के संशोधन के बाद जो जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों को उनके कार्य निर्धारित किये गये हैं। उनका जो संगठन का समूह बना हुआ है उसमें पहले सदस्य, विधान सभा, सदस्य, विधान परिषद्, सदस्य, लोक सभा और सदस्य, राज्य सभा उनके गठन में मतदाता हुआ करते थे और सीधे सदस्य हुआ करते थे लेकिन अब वह पदेन सदस्य हैं और पदेन सदस्य के नाते बैठक में सुझाव दे सकते हैं और अपने प्रभाव के द्वारा बैठक में जो भी प्रस्ताव वह पास करायेंगे, उसका कार्यान्वयन होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐक्ट में विरोधाभास है। क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के निर्वाचन में पदेन सदस्य मतदान का अधिकारी नहीं है लेकिन जो बैठकों की कार्यवाही होंगी उसमें पदेन सदस्य एम0एल0ए0 और एम0एल0सी0 इत्यादि हैं उनको मतदान का अधिकार ऐक्ट के अन्तर्गत है उन्हें किसी प्रकार से मत देने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए माननीय मंत्री जी एक बार पुनः स्पष्ट कर दें कि इन बैठकों में सदस्य, विधान सभा, सदस्य, विधान परिषद्, सदस्य, लोक सभा और सदस्य, राज्य सभा को पदेन सदस्य की हैसियत से मतदान का अधिकार है। मैं पुनः इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो बैठकें होंगी उसमें पदेन सदस्य के रूप में एम0एल0ए0 और एम0एल0सी0 भाग लेंगे और उस समय वह जैसा चाहें निर्णय लें, उसका कार्यान्वयन हो जाएगा। लेकिन यह बैठक के द्वारा ही तय होगा।

डा0 शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने जो बात कही कि जो सदस्य, विधान सभा हैं वह बैठक में पदेन सदस्य की हैसियत से हिस्सा ले सकते हैं लेकिन उसमें जब एजेण्डा तय होगा अगर उस एजेण्डे में मतभेद हो जाएगा तो उस समय क्या माननीय सदस्यों के पास मतदान करने का अधिकार होगा।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, उस समय यदि बैठक चल रही होगी और मत विभाजन का प्रश्न आ जाएगा तो माननीय सदस्य को मत देने का अधिकार होगा।

प्रदेश में वैट प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में जानकारी

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सरकार प्रदेश में वैट प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कर एवं निबन्धन राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार का मत है कि "वैट" लागू करने से प्रदेश के छोटे व मध्यम स्तर के व्यापारियों को कठिनाई होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या निर्देश दिये और दूसरा इसमें क्या मुख्य कठिनाई है ?

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, भारत एक संघीय देश है और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक प्रान्त को अपने सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार और बिक्रीकर लगाने का अधिकार है। भारत सरकार द्वारा जो "वैट" प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी स्थानीय, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कर लगाने और छूट देने का अधिकार नहीं रह जायेगा जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इसके

अलावा जो मझोले और छोटे व्यापारी हैं उन्हें इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिस कारण से पूरे प्रदेश के व्यापारी आन्दोलनरत भी हैं। ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इन स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार वैट लागू न किये जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा है कि भारत सरकार ने कब-कब और क्या निर्देश दियें ? दूसरे मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, यह मूल प्रश्न में नहीं आता है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह इस प्रश्न का हिस्सा नहीं है। भारत सरकार ने क्या-क्या निर्देश दिये इस संबंध में प्रश्न पूछेंगे तो पूरे विस्तार के साथ बता दिया जायेगा। जहां तक "वैट" लागू करेंगे या नहीं करेंगे इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि "वैट प्रणाली" लागू नहीं करेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, जहां तक प्रदेश के छोटे और मझोले व्यापारियों का सवाल है, वह निश्चित रूप से इसके विरोध में आन्दोलनरत हैं और जनभावनाओं का आदर होना भी चाहिए। मैं भी इस मत का हूं, इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है कि इसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं करेंगे वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है लेकिन मेरी एक जिज्ञासा यह भी है कि जैसाकि कहा गया है कि राज्य सरकार का मत है कि "वैट" लागू करने से प्रदेश के छोटे एवं मध्यम स्तर के व्यापारियों को कठिनाई होगी तो मुख्य रूप से उन कठिनाइयों के बिन्दु क्या हैं जो सरकार के संज्ञान में आयी है। दूसरा एक छोटा सा प्रश्न यह भी है कि क्या इसको लागू करना सरकार के लिए अन्त में बाध्यता होगी या नहीं ?

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया कि भारत एक संघीय ढांचे के अन्तर्गत कार्य करता है। उत्तर प्रदेश, संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिए ऐसी कोई बाध्यकारी परिस्थिति नहीं होगी और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार उन तमाम परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए कार्य कर रही है। जहां तक माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि छोटे, व्यापारियों को किन समस्याओं का मुकाबला करना पड़ेगा तो बताना चाहूंगा कि छोटे व्यापारियों को अनावश्यक रूप से अभिलेखों का रख-रखाव करना पड़ेगा। मौजूदा दौर में "वैट प्रणाली" लागू करने के बाद हमने औद्योगिक माहौल बनाने के लिए नई स्थापित इकाइयों को कर से छूट का लाभ दे रखा है जो वर्ष 2010 तक चलेगा। उन तमाम नई स्थापित औद्योगिक इकाइयों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस सबके अलावा "वैट प्रणाली" लागू होने से जो कुटीर उद्योग हैं, हैण्डीक्राफ्ट हैं, अनाज, कपड़ा, तम्बाकू, चीनी और आम उपभोक्ता की वस्तुएं हैं, वे वर्तमान में कर से मुक्त हैं। उन पर कर लगाये जाने से इसका भी प्रबल विरोध सम्भावित है। मान्यवर, इन सबके अलावा क्योंकि उत्तर प्रदेश कन्ज्यूमिंग स्टेट है यहां पर बाहर से सामान आता है और यहां से बाहर सामान जाता है इसको लागू करने से हमारे जो व्यापार केन्द्र हैं उनका काम दोगुना बढ़ जायेगा। जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं

उनको बाउचर रखना पड़ेगा। अभिलेखों को तकनीकी रूप से रखना किसी भी छोटे और मझोले व्यापारी के लिए सम्भव नहीं है, इन तमाम बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वैट लागू नहीं होगा। यह उन्होंने ठीक किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसी के दबाव में नहीं आयेगी जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी मैं जानना चाहता हूं कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी ? स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री संजय गर्ग-

जब वैट प्रणाली लागू होगी तब मालूम हो जायेगा कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य जी ने सवाल पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का स्पष्ट मत है और आज से नहीं पहले से है, लोक सभा में मैंने कहा था कि यह ठीक नहीं है। जो वर्तमान वैट कानून लागू हो रहा है उसमें छोटे-छोटे दुकानदार हैं, छोटे-छोटे कपड़ा बेचने वाले हैं, अन्य दुकानदार हैं वह हिसाब-किताब नहीं रख सकते हैं। वह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रखते हैं तो 10-15-30-50 हजार रुपये महीने उनको हिसाब-किताब रखने के लिए देना पड़ेगा, जो अव्यवहारिक है। इसलिए सरकार वर्तमान वैट कानून के खिलाफ है, यदि केन्द्र सरकार कोई संशोधन लाती है तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी यह बता दें ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था तो चल ही रही है, मैंने बता तो दिया, अब क्या रह गया, कौन सी तकनीकी बात रह गयी। वर्तमान में जो बड़े उद्योगपति हैं वह इसको चाहते हैं। जो छोटे-छोटे गरीब दुकानदार हैं हमारी नीति उनकी मदद पहुंचाने की है यही नीति आपकी होनी चाहिए। अगर हम वैट लागू करते हैं तो छोटे-छोटे गरीब दुकानदारों को दिक्कत होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। वह कहां जायेंगे, उनके धन्धे छूट जायेंगे। जो व्यवस्था चल रही है वही वैकल्पिक व्यवस्था है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मैंने तो आपके निर्णय का स्वागत किया है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री का जवाब आ गया है। इस प्रश्न का उत्तर आ गया है।

नोटः-ता0 प्र0 सं0-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में तहसील तिलहर में पशु चिकित्सालय खोले जाने हेतु पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम-95419/2004, दिनांक 14-2-04 प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन एवं मत्स्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

जी हां।

सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त परिव्यय उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मत्स्य विभाग के (फील्ड) कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

2-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

क्या मत्स्य उत्पादन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मत्स्य विभाग में विगत 10 वर्षों से कितने (फील्ड) कर्मचारी ऐसे हैं जो एक स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य मंत्री (श्री शंख लाल माझी)-मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश में विभागाध्यक्ष कार्यालय के अतिरिक्त लखनऊ मण्डल/जनपदीय स्तर कार्यालय में फील्ड स्तर के 15 कर्मचारी विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं।

शासन के कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनदेश संख्या-1/3/96-का-4/2004, दिनांक 03 जून, 2004 के अन्तर्गत स्थानान्तरण नीति, 2004 में यह प्राविधान है कि सामान्यतः कोई स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। इन कर्मचारियों पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं चल रही है। उक्त स्थानान्तरण नीति में समूह 'ग' एवं 'घ' के स्थानान्तरण हेतु पदस्थता अवधि की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अतः स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनके स्थानान्तरण किये जाने की बाध्यता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दूसरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के ग्राम रानीपुर से धोडवल तक जाने वाली सड़क को पिच स्तर तक कराये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

4-डा0 पूर्णमासी देहाती-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद-फैजाबाद, तहसील-मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के ग्राम रानीपुर से धोडवल (वाया ग्राम भुआँपुर) तक जाने वाली सड़क को पिच स्तर तक राज्य वित्त आयोग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव, पूर्व विधायक जनपद-फैजाबाद का माह फरवरी/मार्च, 2004 में पत्र मा0 मुख्य मंत्री को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जिला पंचायत की बैठक में स्वीकृति प्राप्त कर सम्बन्धित मार्ग के निर्माण को राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पूर्ण कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के क्षेत्र पंचायत जलालाबाद में स्वीकृत पुलिया को पूर्ण कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

5-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के क्षेत्र पंचायत जलालाबाद में स्वीकृत पुलिया को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/98328/2004, दिनांक 11-3-04 प्रमुख सचिव/सचिव, लो0 नि0 वि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

क्षेत्र पंचायत जलालाबाद की बैठक में प्रश्नगत पुलिया को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय नलकूपों को सरकार द्वारा संचालित कराने की मांग

6-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि राजकीय नलकूपों का संचालन कार्य ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित होने के बाद संचालन एवं रख-रखाव प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय नलकूपों का संचालन स्वयं लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्राम-पंचायतों द्वारा इसके बेहतर रख-रखाव एवं संचालन हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित होने के पश्चात् राजकीय नलकूपों का संचालन एवं रख-रखाव प्रभावित नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, क्योंकि शासन द्वारा उपभोक्ता समूह का गठन, जमाबन्दियों को समय से तैयार कराकर सिंचाई शुल्क की वसूली कराना, वसूले गये सिंचाई शुल्क को गांव निधि में जमा कराना, नलकूपों के संचालन के लिये उत्तरदायी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की नलकूपों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने आदि के सम्बन्ध में पूर्व से ही व्यवस्था लागू है।

पूर्व से ही समुचित व्यवस्था लागू होने के कारण।

जनपद शाहजहांपुर में ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम नाली ग्वारी आदि में लगे सरकारी नलकूपों द्वारा कृषकों को रोस्टर के अनुसार पानी दिये जाने की मांग

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक में ग्राम नाली ग्वारी, बाड़ी गांव में जो सरकारी नलकूप लगे हैं उनके द्वारा कृषकों को पानी देने का कोई रोस्टर बना है, यदि हां, तो क्या उक्त रोस्टर का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

रोस्टर संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 59-62 पर।

जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय अभिलेखों में गड़बड़ी की जांच के सम्बन्ध में पत्र

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-468, दिनांक 20-12-02 को कृषि उत्पादन आयुक्त के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-105/ए0पी0सी0/2002, दिनांक 31-8-02 जो टास्क फोर्स द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय अभिलेखों में गड़बड़ी तथा मानकों के अनुपालन न किये जाने की जांच से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

संदर्भित-पत्र प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को प्राप्त हुआ है।

मामले से सम्बन्धित टास्क फोर्स की रिपोर्ट दिनांक 19-02-2002 को प्राप्त हुई, जिसे नियमानुसार जांच हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को संदर्भित किया गया है।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

विधान सभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल को बधाई

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यगण, जैसाकि आपको विदित है कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नियत किया गया है दिनांक 29 जुलाई, 2004 को सदन के निश्चयानुसार नाम-निर्देशन-पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2004 को अपराह्न

4.00 बजे तक आ जाने चाहिए थे। उक्त अवधि के अन्दर जो नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :-

क्र0सं0 नाम-निर्देशित अभ्यर्थी	प्रस्तावक	समर्थक
1- श्री राजेश अग्रवाल	श्री मुलायम सिंह यादव	श्री लालजी टण्डन
2- श्री राजेश अग्रवाल	श्री अम्बिका चौधरी	श्री उदयभान करवरिया
3- श्री राजेश अग्रवाल	श्री हुकुम सिंह	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
4- श्री राजेश अग्रवाल	श्री अमरजीत सिंह जनसेवक	श्री सलिल विश्नोई

श्री अध्यक्ष-

उक्त नाम-निर्देशन-पत्रों में एक ही नाम का प्रस्ताव है। अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 9(4) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं है और मैं श्री राजेश अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित किये जाने की घोषणा करता हूं। मैं श्री राजेश अग्रवाल को हृदय से बधाई देता हूं। मैं अपनी तरफ से सदन के कार्य-संचालन में उनका पूर्ण सहयोग करूंगा। माननीय श्री राजेश अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन-परिचय इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के सदस्य श्री राजेश अग्रवाल का जन्म 18 सितम्बर, 1943 को बरेली में हुआ। आपने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की है।

श्री राजेश अग्रवाल सर्वप्रथम नवम्बर, 1993 में, दूसरी बार सितम्बर-अक्टूबर, 1996 के मध्यावधि चुनाव में तथा अब फरवरी, 2002 के सामान्य निर्वाचन में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

आपने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लिया। वर्ष 1990 से 1993 तक अनेक पार्टी आन्दोलनों में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत जिला व केन्द्रीय कारागार, बरेली में बन्दी रहे। आप पूर्व में उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा नियम समिति के सदस्य रहे हैं एवं 17 मार्च, 2004 से बिक्रीकर स्थाई समिति के सदस्य हैं। आप उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स प्रतिनिधि मण्डल के मंत्री भी पांच वर्ष रहे हैं। आप अग्रवाल महासभा के संरक्षक, उत्तर प्रदेश वैश्य महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अनेक विद्यालयों/महाविद्यालयों के विगत कई वर्षों से संस्थापक अध्यक्ष, व्यवस्थापक एवं सदस्य भी रहे हैं।

आप सुश्री मायावती मंत्रि-मण्डल में दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 से दिनांक 29 अगस्त, 2003 तक कर एवं निबन्धन विभाग के मंत्री रहे हैं।

साहित्य, संगीत व सेवा कार्य से आपकी विशेष रुचि रही है। आपको शिक्षा एवं पर्यटन प्रिय है। मैं अपनी तरफ से आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप निर्विरोध निर्वाचित होकर पुरानी परम्पराओं को पुनः स्थापित करते हुए यहां उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग दूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि सभी लोगों को साथ लेकर सदन को एक सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आपके निर्विरोध निर्वाचन में अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं नेता, सदन और नेता, विरोधी दल से आग्रह करता हूं कि श्री राजेश अग्रवाल जहां कहीं भी हों उन्हें चेयर तक लाने का कष्ट करें।

(माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष को माननीय अध्यक्ष के आसन तक ले गए और शुभकामनाएं दीं)

(मेजें थपथपाई गईं)

(इस समय 11 बजकर 38 मिनट पर नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको बहुत खुशी है कि आज आप इस पद पर आसीन हैं। इस खुशी के साथ मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज लोकतंत्र के जिस महत्वपूर्ण पद पर आप आसीन हैं, आपको सदन चलाने में, संचालन में बहुत बड़ी सुविधा इसलिये भी होगी कि आप तीन बार इस सदन के सदस्य रहे हैं। यह सदन जनता का एक दर्पण है। हम लोग जो यहां करते हैं समस्याएं कहते हैं, समस्याओं पर चिन्तन करते हैं, बहस करते हैं वह जनता तक सीधे दिखाई जाती है। इसलिए आज आपके इस पद पर बैठ कर आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभायेंगे क्योंकि आप समाज की, जनता की समस्याओं से परिचित है। आपने अपने जीवन में संघर्ष किया, जनता के सवालों को लेकर, व्यापारियों के सवालों को लेकर।

आप सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं और उनसे जुड़े सवालों को उठाते रहे हैं सदन के बाहर। आपको अनुभव है कि क्या-क्या समस्याएं प्रदेश की जनता के सामने हैं और इन समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है, इसको आप विचार करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी विशेष रुचि रही है और शिक्षा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आजादी के 54 साल बाद भी अपने प्रदेश को साक्षर नहीं कर पाये हैं पढ़ाई और लिखाई तो दूर की बात है। यह एक गम्भीर समस्या है, इसके बारे में तमाम सवाल उठेंगे। ऐसे में सदन का संचालन बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे खुशी हुई यह जानकर कि आप साहित्य में रुचि रखते हैं। आप संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं। यह नहीं पता कि संगीत सुनने के प्रेमी हैं या संगीत में रुचि है। यह जानकारी मुझे अभी मिली है। हम आपको बधाई देते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले सारी परम्पराओं को तोड़ा गया उपाध्यक्ष पद के लिये पूरे कार्य-काल में बहुत कम मौका दिया गया। अभी पिछले सदन में मुझे लगता है कि 4 महीने मुश्किल से मिला होगा। उपाध्यक्ष के लिये चुनाव नहीं कराये गये। हम जानते हैं कि जिस दल में आप हैं उससे हमारे तमाम सदस्यों के गम्भीर मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं। प्रमोद कुमार जी से हमारे वैचारिक मतभेद मामूली नहीं हैं लेकिन लोकतंत्र की परम्पराओं को कायम रखने के लिए हमने सदन में आते ही संकल्प लिया था और उसको निभाया और इसीलिए अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद एक सप्ताह ही नहीं बीता आपको उपाध्यक्ष पद पर आसीन करवा दिया। सरकार का समर्थन दे रहे कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और जितने भी हमारे दल हैं छोटे-छोटे निर्दलीय सभी ने इसमें सहयोग दिया है। मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि नेता विरोधी दल और हुकुम सिंह जी बैठे हैं, इनसे कई बार मैंने आग्रह भी किया और माननीय अध्यक्ष जी, अब नहीं हैं श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी से भी कहा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस पंक्ति के लोगों से आप कुछ सीखें। इनको कहूंगा कि सारी परम्पराओं को तोड़ा और हमने उनको पुनर्जीवित किया। आपसे उम्मीद है, आपसे आशा है आपकी इस सदन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारी शुभकामनायें हैं कि आप कामयाब हों, आप स्वस्थ रहें सदन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें और आगे आने वाले सदस्य आपसे प्रेरणा लेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको हमारी तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा इसी उम्मीद के साथ कि आप सफल हों बहुत-बहुत धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, नेता सदन के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए हम सभी दलों के नेताओं को साधुवाद देना चाहते हैं उन्होंने एक स्वस्थ परम्परा को फिर से चालू किया।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है, जो सत्य है वह है जो अच्छा काम है वह जब शुरू हो तभी उसकी तारीफ करनी चाहिए कि परम्परा का निर्वाह किया यह स्वस्थ परम्परा है, संसदीय परम्परा है कि सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष होते हैं यदि पहले से अध्यक्ष चले आ रहे हैं तो अध्यक्ष बदलने की जरूरत नहीं होती है जैसा पहले हुआ। प्रतिपक्ष दल को उपाध्यक्ष का पद मिलता है वह उसका हक है दोनों को मिलकर परम्परा का निर्वाह करना चाहिए। आपने कहीं यह नहीं पाया होगा कि जहां सदन की मर्यादा का प्रश्न है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है मैं या मेरा दल कहीं पीछे रहा हो। विरोध करना तो हमारा धर्म है लेकिन परम्पराओं को बनाने में हम आपसे कम नहीं हैं। मैं प्रमोद कुमार जी को भी बधाई देना चाहता हूं उन्होंने शकुनी की भूमिका नहीं निभाई है।

(हंसी)

हमारे नेता ब0स0पा0 ने भी न विरोध किया और न समर्थन किया। उन्होंने भी परम्परा का परोक्ष रूप से पालन करने में अपना योगदान दिया है सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनायें देते हैं। आपके प्रति जो सारे सदन की अपेक्षा है इस पीठ के सम्मान की रक्षा आप करेंगे। आपका मृदू स्वभाव और आपके अनुभव का लाभ सदन को मिलेगा। इस पीठ पर आने वाले लोग क्योंकि यह संवैधानिक पद है उनको पदों पर बैठाला गया। प्रोसीडिंग लिखी जा रही है, यह इतिहास है इसमें उनका सबका नाम हमेशा-हमेशा रहेगा जिन्होंने गलत किया है। उनका भी नाम इसमें उद्धृत है और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनका नाम भी इसमें उद्धृत होगा। यह साक्ष्य है सदन कैसे कार्यवाही कर रहा है मैं पूरे दल की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आपके ऊपर नयी जिम्मेदारी आ गई है आपसे आशा है कि आप पूरे सदन को अपना मानकर आप कार्यवाही करेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके सर्वसम्मत उपाध्यक्ष चुने जाने पर हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं और चूंकि आप इस सदन के लगातार तीन बार सदस्य रह चुके हैं, आपको काफी अनुभव है इसलिए इस सदन को चलाने में, इसके संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपना योगदान करेंगे और साथ ही साथ हम सभी लोगों को भरपूर संरक्षण मिलेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपको पुनः हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और अपने सभी साथियों की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता बसपा ने जो विचार रखे हैं, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। आप योग्य हैं, आप अनुभवशील हैं। इस सदन के जो दायित्व चाहे मंत्री के रूप में रहे हों या सदस्य के रूप में रहे हों, सबका निर्वहन आपने पूरी क्षमता के साथ किया है तो मैं आशा करता हूं कि जो नया दायित्व आपको सौंपा गया है, उसमें भी आप उसी कर्मठता के साथ निभाने में सफल होंगे। मैं नेता सदन को बधाई देना चाहता हूं

कि उन्होंने एक स्वस्थ परम्परा का पालन किया है। यह परम्परा रही है कि विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलता रहा है, अभी बीच में 2-3 कार्यकाल ऐसे गुजरे हैं जिसमें 5 साल में 4 साल बीत जाते थे और उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली रहती थी। उपाध्यक्ष सिर्फ अधिष्ठाता के रूप में इस पीठ पर नहीं बैठता है, बल्कि वह कई समितियों का पदेन सभापति भी होता है। आपके इस पद पर आसीन होने से वह सारी समितियां पुनर्जीवित हो जायेंगी। जिनके अध्यक्ष के रूप में और लोग कार्य कर रहे थे। विगत कार्यकाल जो रहा है, टण्डन जी की जब सरकार थी तो साढ़े तीन, चार साल उपाध्यक्ष चुना ही नहीं गया, दोबारा सरकार बनी फिर भी उपाध्यक्ष नहीं चुना गया लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इस पर अपनी कर्मठता दिखाई और अपनी वचनबद्धता निभाई तथा उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने परम्परा का पालन किया है। मान्यवर, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है लेकिन आदरणीय टण्डन जी ने नहीं किया। अगर आपको अपने दल का उम्मीदवार खड़ा करना था तो यह आपका नैतिक दायित्व था कि आप सभी दलों से वार्ता करते। आपका ही क्लेम था, आपको ही मिलना था और आपको ही मिलता। तो क्या उचित नहीं था कि सभी दलों से वार्ता की जाती ? मैं गारण्टी के साथ कह सकता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात नहीं हुई, मुझसे बात नहीं हुई कि किसको मैं अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहा हूं।

श्री लालजी टण्डन-

यह सिद्धान्त रूप से यह हो गया था कि उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को मिलेगा और उस पर प्रमोद कुमार की भी सहमति थी। लालजी वर्मा से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि न तो मैं समर्थन करूंगा और न विरोध करूंगा, इस प्रकार उनकी भी मौन स्वीकृति थी।

श्री प्रमोद कुमार-

यह परम्परा रही है। यह कहना कि सबसे बड़े दल को मिलता है तो कई बार ऐसे भी अवसर आये हैं जब यह विपक्ष के सबसे बड़े दल को मिला लेकिन उसने छोटे दल को दे दिया। मैं लोक सभा का उदाहरण देना चाहूंगा वहां पर इनके सहयोगी दल अकाली दल को यह पद मिला है। लेकिन मैं इस सब तर्कों में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। माननीय रामस्वरूप सिंह जी से भी वार्ता नहीं हुई।

(श्री प्रमोद कुमार जी द्वारा श्री राम स्वरूप सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने 'नहीं' कहा)

इनसे भी वार्ता नहीं हुई। मेरे यह कहने का आशय है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पदों पर कहीं किसी स्तर पर विवाद न हो। आप हम लोगों से बात करते हम सभी प्रस्तावक और समर्थक होते तो ज्यादा अच्छा होता। एक ही दल का प्रस्तावक और समर्थक हो गया। टण्डन जी गलती कर दिया करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। इन्होंने यह कहा कि आप शकुनी वाली भूमिका नहीं निभा पाये तो मैं यह कहूंगा कि आपने तो धृतराष्ट्र वाली भूमिका निभा दी। कहीं देखा ही नहीं। वैसे यह बहुत ही योग्य हैं, मैं इनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया तो क्या हुआ इन्होंने तो किया। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हुए हैं हमारा पूरा समर्थन आपके साथ रहेगा। हमारा दल उन दलों में से है जो इन परम्पराओं का पालन करने में कभी पीछे नहीं हटता है। आपसे भी आग्रह है कि आप भी दलीय

भावना से ऊपर उठकर सभी लोगों को बराबर का मौका देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके कार्यकाल की यशस्वी होने की कामना करता हूं।

श्री राम स्वरूप सिंह-

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, नेता सदन, नेता विपक्षी दल, नेता ब0स0पा0, नेता कांग्रेस ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। परम्पराओं की बात आयी, जबसे आप विधायक बने तबसे तीन बार मैं भी सदन में मौजूद हूं, लेकिन पिछली विधान सभाओं में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, किसी परिपाटी का पालन नहीं किया गया है, यह आंखों से मैंने देखा है। मैं माननीय नेता सदन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र के महत्व को समझा और चिन्ता करके प्रेक्टिकली अमल कराया। अभी हमारे प्रमोद कुमार जी ने कहा हमारे बी0जे0पी0 के नेता टण्डन जी के बारे में कहा। उनकी पार्टी के जो सिद्धान्त हैं वह ऐसे ही हैं कि वे लोकतंत्र पर यकीन ही नहीं करते, संविधान पर यकीन ही नहीं करते, उनका पालन नहीं करते। तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है बल्कि उन्होंने तो अपने सिद्धान्तों का पालन किया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष जी आप इस पद की मर्यादा को कायम रखेंगे आप इस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। कहीं ऐसा न हो कि यह चेतना आपके मन में भी जागृत हो जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बधाई देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। अभी परम्पराओं की बात आयी। तो परम्परा यह भी रही है जो वहां से उपाध्यक्ष होते हैं वह फिर इधर आ जाते हैं।

(माननीय नेता उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक कांग्रेस, माननीय नेता अखिल भारतीय कांग्रेस, माननीय नेता भारतीय हिन्दू महासभा का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता राष्ट्रीय लोक दल, माननीय नेता भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी), माननीय नेता उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक कांग्रेस, माननीय नेता अखिल भारतीय कांग्रेस, माननीय नेता अखिल भारतीय हिन्दू महासभा-

मैं इस पद पर जो यह गरिमामयी पद है और एक ऐसा पद है जहां एक-एक कामा, एक-एक फुलिस्टाप अपना इतिहास रचता है और ऐसे में उन परम्पराओं को पुनर्जीवित करना किस तरह से यह सदन उन परम्पराओं के आधार पर चले कैसे इस सदन में उस प्रकार के विचार जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जो सीधे-सीधे जनता के हित और अहित को पटल पर रख कर एक नई दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे गरिमामयी पद पर आप सबने और विशेष रूप से नेता सदन ने मुझे यहां तक लाने में अपना सहयोग किया, मैं निश्चित रूप से (सभी माननीय सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

ऐसे सभी लोगों को जो मेरे पुराने सहयोगी और नए सदस्य के रूप में यहां पर बैठे हुए हैं, ऐसे सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, मुझे कहीं संकोच नहीं है सदन का संचालन करने में निश्चित रूप से बहुत बड़ा गुरूतर भार है और उसका निर्वहन करने में कभी-कभी कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, बहुत विनम्रतापूर्वक मैं चाहूंगा कि यदि कभी ऐसे विषय आयें, ऐसा कोई

दृष्टान्त हो तो निश्चित रूप से मुझे इंगित करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उन ऐतिहासिक परम्पराओं को इन सभी चीजों को यहां पर स्थापित किया जाए जिससे इस सदन की गरिमा निश्चित रूप से आगे बढ़े। मैं पुनः आप सबका, नेता सदन, प्रतिपक्षी दल और अन्य सभी नेताओं को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय नेता सदन ने निश्चित रूप से एक बात कही है संगीत के विषय में, मैं समझता हूं संगीत निश्चित रूप से ऐसा विषय है जो मन को बहुत ऊर्जा प्रदान करता है और इस ऊर्जा को पाने के लिए कहीं न कहीं उसके अन्दर जाना परम आवश्यक है। एक बात कह कर और इस आशा और विश्वास के साथ कि इस सदन को सुचारू रूप से चलाने में मेरा जो भी अकिंचन सहयोग अपेक्षित होगा वह रहेगा। मुझे एक बिन्दु याद आ रहा है-

"आंधियां मगरूर दरख्तों को पलट जाएंगी, रहेगी वही साख, जिसमें लचक रह पाएगी।"

(सभी माननीय सदस्यों द्वारा मेंजें थपथपाई गईं।)

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री अशोक सिंह चौहान-

मान्यवर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जनपद मैनपुरी की एक घटना का जिक्र किया था जिसमें सुबह साढ़े आठ बजे, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठ जायें, पहले जो थोड़ी सी कार्यवाही रह गई है, उसे पूरा कर लें उसके पश्चात् नियमों में जैसे ही आयेगा, निश्चित रूप से आपको अपनी बात कहने का समय मिलेगा।

(मद संख्या-9 पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निवेदन है कि पहले नियम-301 और नियम-300 की सूचनाओं को लेने का कष्ट करें। आपने मद संख्या-9 पुकार ली है। मान्यवर, कौन सा विषय कब लिया जायेगा, उसका क्रम निर्धारित है। मान्यवर, कृपया इस कार्यसूची की मदवार ही कार्यवाही को चलाने का कष्ट करें।

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठें। मैं पहले नियम-301 की सूचनाओं को ले लेता हूं।

आज दिनांक 30 जुलाई, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

मैं माननीय सदस्यों के नाम पढ़े देता हूं।

(मा0 सदस्यों का नाम पुकारे जाने तथा श्री ओम प्रकाश पाण्डेय और श्री चन्द्रदेव राम यादव के अनुपस्थित होने पर, प्रतीक्षा सूची के श्री महेन्द्र कुमार सिंह तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की सूचना स्वीकार की गई)

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

अम्बेडकर नगर के टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के 2003-2004 में कतिपय स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के जनपद अम्बेडकर नगर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में ऐनवा भड़सारी मार्ग, बलया जगदीशपुर भसड़ा मार्ग तथा वजदहिया पाईपुर मार्ग स्वीकृत हुआ है। परन्तु अभी तक उक्त मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जिसके कारण आम जनता को उक्त ग्रामों में आने जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अस्तु लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्गों को अविलम्ब निर्माण की मांग करता हूं।]

गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत राजापुर के पास गोघनी नदी पर पुल बनवाने की मांग के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन राजभर-

[महोदय, मेरे जिला गाजीपुर में विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत राजापुर के पास गोघनी नदी पर पुल निर्माण हेतु कई सत्र में नियम-51 के तहत सूचना लगायी गयी थी जिसमें योजना की स्वीकृति कर आगणन भी शासन को उपलब्ध करा दिया गया तथा तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के द्वारा पुल निर्माण कराने का आश्वासन भी दिया गया लेकिन अब तक धन अवमुक्त न होने के कारण पुल का निर्माण शुरू न हो सका। जिससे क्षेत्रीय जनता में दुख एवं आक्रोश व्याप्त है।

आपसे चाहूंगा कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें तथा पुल निर्माण कराने की कृपा करें।]

शाहजहांपुर में नगर के बीच आबादी वाले क्षेत्र ककरा से पशु वधशाला हटा कर अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर नगर में आबादी के बीच मोहल्ला ककरा में एक बड़ी पशु वधशाला कार्यरत है। वर्षों से नागरिक गण इसको अन्यत्र हटाने की मांग करते रहे हैं। परन्तु इस वधशाला को नहीं हटाया जा सका इस पशु वधशाला से गन्दगी भी होती है। बदबू भी आसपास तक के क्षेत्र में जाती है, नागरिकों को भारी असुविधा होती है। लोगों ने इनके आसपास से निकलने का रास्ता भी बदल दिया परन्तु स्थानीय प्रशासन इसको हटा नहीं रहा है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं पशु वधशाला नगर के बीच आबादी वाले क्षेत्र ककरा से हटाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हरदोई के विकास खण्ड भरावन के सीमावर्ती भटपुर-नेवादा मार्ग के अधूरे कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[महोदय, आपका ध्यान जनपद-हरदोई के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़े वि0ख0 भरावन के सीमावर्ती सम्पर्क मार्ग भटपुर-पीपर गांव नेवादा को जोड़ने वाली अधूरी सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त मार्ग काफी पुराना होने के साथ-साथ अति महत्व का है। उक्त मार्ग से सीतापुर व लखनऊ तथा हरदोई जनपद का सीधा किसानों को मण्डी का रास्ता सुलभ होगा। उक्त भटपुर नेवादा मार्ग न बनने से क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। गत मई माह में हुए लोक सभा के सामान्य निर्वाचन में कई मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर अपना विरोध भी जताया था।

अतः आपसे निवेदन है कि जनभावनाओं का आदर करते हुए इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करके उक्त भटपुर-नेवादा मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

बलिया की घाघरा नदी की बाढ़ को रोकने वाले कतिपय बांधों की तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, आप के संज्ञान में लोक महत्व का प्रकरण, बलिया जनपद के अन्तर्गत बहने वाली घाघरा नदी में बाढ़, कटान और किसानों की भीषण बरबादी की ओर दिलाते हुए जनहित में मांग कर रहा हूं कि बलिया जनपद में घाघरा नदी के बाढ़ को रोकने वाले तुर्तीपार, श्रीनगर बांध व जमींदारी बांध की मरम्मत तत्काल कराई जाये। ढ़गुनिया, माठिया चैनपुर, गुलौरा, खैरा, तुर्तीपार मुजौना, बेल्थरा बाजार, हल्दी रामपुर डूहा-बिहरा, कटौड़ा, मनिपुर टुकड़ा नं0 2, गोडौती खरीद, पुरुषोत्तम पट्टी, असना, बहदुरा, नवका गांव, सुल्तानपुर एवं चक्की दीवर गांवों के सामने कटान रोकने के लिए पत्थर की पीलिंग व ठोकर बनवाया जाये तथा प्रभावित परिवारों को सहायता तथा जर्मान देकर बसाया जाये। ग्राम डुआ में टी0सी0 बन्धे पर बना प्राचीन मन्दिर जो बाबा बाल खण्डी नाथ जी मौनीया बाबा का आश्रम, जंगल बाबा की कुटी भी कटान से बुरी तरह प्रभावित है एवं बंधा कटने से मन्दिर गिर रहा है। यहां पर देश के कोने-कोने से लोग पूजा के लिए आते हैं। टी0एस0 बन्धा डुहा जो टूट रहा है। पूरे गांव की आबादी को खतरा उत्पन्न हो गया है। नवका गांव गोडौली गांव, बंधे के बीच में है। यह गांव घाघरा में इस वर्ष समाहित हो जायेगा। अगर शासन द्वारा रैम्स टोकर-बोल्डर गिराने की व्यवस्था नहीं किया गया तो भारी जान-माल एवं भूमि किसानों का नुकसान होगा।

अतः सरकार तत्काल धन स्वीकृत कर घाघरा से कटान को रोकने का इन्तजाम करें।]

सीतापुर के बेहटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुंगलापुर के नसीम अहमद की पिपरमिन्ट की टंकी फटने से हुई आकस्मिक मृत्यु के फलस्वरूप उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार सिंह-

[महोदय, जनपद सीतापुर में मेरी विधान सभा क्षेत्र बेहटा के थाना तम्यौर के ग्रा0 मुगलापुर में दिन में 14.10 बंजे। जुलाई, 2004 को पिपरमिन्ट की टंकी फट जाने से नसीम अहमद पुत्र

नोट :-। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शहजाद अली निवासी मुगलापुर की आकस्मिक मृत्यु हो गई है अभी सरकार द्वारा कोई सहायता राशि नहीं दी गई है सरकार की घोषणा अनुसार एक लाख रुपये की सहायता दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के आवास-विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों में भूखण्ड/भवन की रजिस्ट्री आवंटन के समय प्रचलित सर्किल रेट पर कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[महोदय, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् व राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों में बेचे जाने वाले भूखण्ड/भवन की रजिस्ट्री यदि किसी कारणवश रह जाती है तो वर्तमान में रजिस्ट्री भूखण्ड/भवन को आवंटन के समय प्रचलित सर्किल रेटों पर करा दी जाती थी पिछली अनेक सरकारों में यह निर्णय होता चला आ रहा है लेकिन इस सरकार ने इस नियम को बदल दिया है गरीब जनता को नुकसान हो रहा है व सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है क्योंकि रजिस्ट्रियां बन्द हो चुकी हैं।

रजिस्ट्री पुराने नियम के अनुसार करायी जानी चाहिये। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

दिनांक 28 जुलाई, 2004 को वाराणसी में विद्युत कटौती से पानी की समस्या उत्पन्न होने विषयक उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन का कार्यान्वयन सुनिश्चित न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, आपने कृपापूर्वक कह दिया, एक मिनट का समय दे दें, एक औचित्य का प्रश्न है, एक मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

मान्यवर, 28 तारीख को मैंने बनारस में बिजली पानी की दुर्व्यवस्था पर औचित्य के प्रश्न पर बोलते हुए मैंने यह कहा था कि जहां एक तरफ बिजली से अपार कष्ट हो रहा है वहीं बिजली न रहने से जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है, जो कष्ट का विषय और चिन्ता का विषय है। इस पर माननीय नगर विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने जो कहा था वह उद्धत करना चाहता हूं-

> "आप वरिष्ठ सदस्य है बिजली न होने की वजह से पानी नहीं मिलेगा ऐसा सम्भव नहीं है इसका अल्टरनेटिव अरेन्जमेन्ट होता है, जनरेटर होता है, उससे पानी दिया जाता है।"

मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अभी कल की बात है रात के 10 बजे तक बनारस में वाटरवर्क्स से पानी की सप्लाई बिना विद्युत के नहीं हो सकी। मैं माननीय नगर विकास मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री का आभारी हूं, मैं धन्यवाद देता हूं उनकी संवेदनशीलता के लिए, बनारस में कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं है और जैसा इन्होंने भावना व्यक्त किया है और इनको जानकारी है। जल संस्थान इनका विभाग भी है, जैसा इन्होंने अपने उत्तर में कहा है वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जनरेटर की व्यवस्था होती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब इतना कष्ट है और उनके दिमाग में वैकल्पिक व्यवस्था है तो उसको वाराणसी

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद में लागू कराने की व्यवस्था करें। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं। कल 10 बजे रात तक पानी की सप्लाई नहीं हो सका है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह वाकई में निन्दनीय विषय है। एक लम्बे अरसे तक सत्ता में रहे, न ही इस पर आपने विचार किया न शिकायत की और न ही कार्यवाही की, यह बहुत ही दुःख का विषय है। बनारस ऐसे शहर में अब अगर बिजली चली जाये तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सके, यह वाकई में निन्दनीय बात है। इसके लिए आपके कक्ष में बात हो रही थी तो माननीय सदस्य ने खुद भी दुःख व्यक्त किया था। उन्होंने भी सरकार के रहते इसको कई बार उठाया था। मैंने कहा था पानी नहीं मिलेगा, जब ऐसी बात है उसका जनरेटर होना चाहिए लेकिन यह सच है कि इतने बड़े जल संस्थान को चलाने के लिए बहुत बड़े जनरेटर की जरूरत है उसके लिए बड़े रकम की भी जरूरत है, उसका इंतजाम आज के नेता विरोधी दल और कल के मंत्री ने नहीं किया, यह अच्छी बात नहीं है। नेता विरोधी दल यहां बैठे हुए हैं आप बराबर दो तीन दिन से इनकी शिकायत कर रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्वयं बनारस आकर सारी व्यवस्था को देखूंगा और सदन के समाप्त होने के बाद जो भी कमियां है, जनरेटर के सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था हो सकती है कराने की व्यवस्था करूंगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30-7-2004 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई। कोई भी सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है ? अतः समस्त सूचनायें नियम-300 के अन्तर्गत अग्राहय की गयी।

पहली सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर के थाना गौसाईगंज में विद्युत तार चोरी की एफ0आई0आर0 दर्ज न होने के सम्बन्ध में है, इसे नियम-56 में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सुना जायेगा।

जो सूचनायें नहीं सुनी जायेगी, वह इस प्रकार हैं, इसमें श्री सतीश महाना की मा0 मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कानपुर महानगर के विकास हेतु विशेष आर्थिक पैकेज के संबंध में, दूसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी नगर में बिजली की भयंकर किल्लत तथा उससे होने वाले जल संकट की समस्या के सम्बन्ध में मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में वास्तविकता से विपरीत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में, श्री रविन्द्र पुण्डीर की जनपद सुल्तानपुर के स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर के चिकित्सकों का स्थानान्तरण होने के बावजूद नयी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के सम्बन्ध में, अगली सूचना श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद लखनऊ के कूर्मांचल नगर में आवास पशुओं के कारण होने वाली समस्या के सम्बन्ध में, अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल की विधान सभा का साउण्ड सिस्टम ठीक से काम न करने के सम्बन्ध में है।

विधान सभा में साउण्ड सिस्टम के ठीक से काम न करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने मेरी सूचना का उल्लेख किया, यह सदन की कार्यवाही से संबंधित है। आप स्वयं माननीय सदस्यों से पूछ लें कि सदन में क्या कार्यवाही चल रही है, अगर इन बातों को सदस्यों को समझने, सुनने में कठिनाई न होती हो तो मेरी सूचना अस्वीकार कर दें।

श्री अध्यक्ष-

इसकी व्यवस्था हो जायेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में यह आश्वासन दे दिया जाना चाहिये कि साउण्ड सिस्टम दुरुस्त हो रहा है और बिल्कुल लेटेस्ट सिस्टम किया जा रहा है। नेता सदन ने इसके लिये निर्देश दे दिये हैं कि साउण्ड सिस्टम दुरुस्त हो। लिखने में भी कभी-कभी कमी रह जाती है, गलती हो जाती है, इसलिये वीडियोग्राफी तथा आडियोग्राफी दोनों का सिस्टम रहेगा, इसके अलावा जिस तरह पार्लियामेंट में आपके भाषण की सी0डी0 दे दी जाती है, उसी तरह से यहां भी व्यवस्था लागू कर दी जाय।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान मंडल के कर्मचारियों-अधिकारियों ने एक मांग-पत्र दिया है, मैं उसे पढ़ दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में तो आता नहीं, आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, अब आप बैठ जायें, यहां विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के बारे में कोई बात नहीं हो सकती।

मद संख्या-6, 7 व 8 में कुछ नहीं है।

विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

उसका मैं परीक्षण करा रहा हूं, जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

उसको आ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

जवाब तो आ जाने दीजिये।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, मैं एक भ्रम दूर करना चाहता हूं। इस सदन में मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद उस व्यक्ति को किसी भी सदन का 6 महीने के अन्दर सदस्य होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

आप किन नियमों में बोल रहे हैं, क्या आपने लिखित दिया है।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है, मैं अपना भ्रम दूर करना चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

अब औचित्य खत्म हो गया।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण तथा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2004

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण तथा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण तथा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण तथा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 एवं नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 30 जुलाई, 2004 को 311 में प्राप्त 5 सूचनाओं को एवं 300 में प्राप्त 1 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पहली सूचना श्री लाल जी टण्डन और डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में भुखमरी के कारण हो रही मौत व आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गरीबी और भुखमरी के कारण आत्महत्याओं की घटनाएं दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया था कि यदि कोई भूख से मरता है तो उसके लिए उस जनपद के जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। मैं कुछ घटनाओं की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। भुखमरी के शिकार जगह-जगह दुकानदार हो रहे हैं, उनके व्यापार की वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना उनको उजाड़ा जा रहा है। कल के समाचार पत्रों में भी यह छपा है कि बाराबंकी जिले के मरौचा गांव के एक किसान मंशाराम के द्वारा लिये गये ऋण की रिकवरी करने में उसके ट्रैक्टर तथा जमीन को जिस प्रकार से नीलाम किया गया, और किसान द्वारा आत्महत्या कर ली गई और जो अमानवीय दृष्टिकोण जिलाधिकारी के द्वारा अपनाया गया, यह बहुत ही निन्दनीय है। यह ठीक है कि सरकार ने कार्यवाही की है लेकिन कितनी घटनाएं जनपदों में रोज हो रही है वहां पर ऋणों की वसूली के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इसके चलते कहीं पर लोगों ने आतमहत्या कर ली है और कहीं पर आत्महत्या करने की तैयारी में हैं। सरकार के आदेश का कोई लाभ कहीं भी नहीं हो रहा है। गरीबी से तंग आ.. 11 माह की बच्ची को जान से मारने की घटना थाना गौसाईगंज, लखनऊ में हुई थी। 11 माह की पुत्री का चाकू से गला रेतकर खुद को मारने का प्रयास गरीबी और भुखमरी के कारण हुआ था। इसमें सरकार के द्वारा कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। यह हृदय विदारक घटना हसनपुर देवली के गांव में हुई, गांव के निवासी श्री राम कुंवर की पत्नी प्रभी ने पहले अपनी 11 माह की पुत्री लक्ष्मी को गरीबी के कारण चाकू से गला रेतकर मारने

और फिर स्वयं को मारने का काम किया। मेरा कहना है कि इस प्रदेश में कुशासन के कारण प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऋणों की वसूली में किसानों को उत्पीड़न करने के कारण और अधिकारियों के द्वारा वसूली की प्रक्रिया का पालन न करने के कारण मजबूर होकर आये आदमी आत्महत्या कर रहा है।

मान्यवर, इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर दुकानें तोड़ी जा रही है लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है जबकि तमाम नजूल की जमीनें पड़ी है। मान्यवर, जिनकी दुकानें तोड़ी गयी है उन्हें नजूल की जमीनों पर दुकानें बनाकर दी जानी चाहिए। दुकानों को तोड़ते समय अधिकारी यह नहीं सोचते कि जिसकी दुकान तोड़ी है शाम को उसके घर रोटी नहीं पक सकेगी और अगर मोहल्ले का परचून का दुकानदार यदि जान जाता है कि उसकी दुकान तोड़ दी गयी है तो फिर वह उसे दो-चार रुपये का सामान भी देने को तैयार नहीं होता है। मैं इस कार्य-स्थगन के माध्यम से जनपद-बाराबंकी के ग्राम-मरौवा ईश्वरी सिंह, तहसील रामनगर की घटना, गौसाईगंज की घटना व दुकानदारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को तोड़ा जाना तथा गरीब जो रेड़ी लगाता है, पटरी दुकानदार है उसे बेरोजगार करने की घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी कि कोई भी व्यक्ति भूख से मरा तो जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे। एक जगह बाराबंकी में एक्शन हुआ है लेकिन गौसाईगंज में कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से नगरीय करोंवा उन्मूलन के अन्तर्गत बिना लोगों को रोजगार के साधन मुहैया कराये उसकी दुकानें तोड़कर उनके घरों के चूल्हों में पानी डाला जा रहा है और यह नहीं पता है कि उसके बच्चों को दूध मिलेगा या नहीं उसके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं। मान्यवर, मैं इस कार्य-स्थगन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस भुखमरी के कारण जो परिस्थितियां पैदा हो रही है उस पर चर्चा करायें। बाराबंकी की घटना में जैसे सरकार ने सख्त कार्यवाही की है और आगे भी कार्यवाही करेगी। मौत की घटनायें न हों, आत्म हत्या की घटनायें न हों। इसलिए नगरीय स्वरोजगार की जो योजनायें हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें लाभ पहुंचा दिया जाए जिससे इस तरह की घटनायें न घटित हों।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं बाजपेयी जी का बड़ा आभारी हूं कि उनके दिल में नया-नया हमदर्दी का अहसास पैदा हुआ है, यह शुभ लक्षण है। कम से कम गरीबों के लिए उधर बैठकर सोचना शुरू तो किया और आत्म हत्या करने वालों से सहानुभूति होने लगी। आपको यह सूचना मिली है कि पड़ोसी जिले बाराबंकी में सख्त कार्यवाही इन्हीं कारणों को लेकर हुई। कई अधिकारी मुअत्तल किये गये हैं। यह सरकार संवेदनशील है, इन्हीं मौतों पर ही नहीं सभी सवालों पर कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध है। आपसे हमदर्दी रखता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस तरफ भी सोचने की शुरुआत की है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, क्यों यह सरकार जिलाधिकारियों को निर्देशित करेगी कि वह अपने-अपने जनपदों में देखें कि कौन ऐसे लोग हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं तो उन्हें चिन्हित करें। उनको

स्वरोजगार योजना आदि के अन्तर्गत लाभ पहुंचाये जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों। इतनी जानकारी अवश्य चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम ख़ां-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से भी इस तरह की व्यवस्था की है और पैसा दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि क्या सरकार सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर देगी ?

श्री मोहम्मद आजम ख़ां-

मान्यवर, जिस दिन यह हादसा हुआ है और नेताजी ने कार्यवाही की है उसी दिन सारे जिलाधिकारियों के निर्देश भेज दिये गये हैं कि इसे दोबारा सुनिश्चित कर लिया जाए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पुनः निर्देशित कर दिया गया है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या जिलाधिकारियों को यह निर्देशित कर देंगे कि वह अपने-अपने जनपदों में ऐसे परिवारों को चिन्हित कर लेंगे जो बहुत ही गरीब हैं तथा भुखमरी के कगार पर हैं और उनकी व्यवस्था विभिन्न नगरीय स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत कर दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अभी निर्देश दे देंगे।

अगली सूचना माननीय श्री छोटे लाल वर्मा की ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में विद्युत कार्यों से सम्बन्धित है।

*श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 45 किमी0 की परिधि में फैक्ट्री, ईंट भट्ठा, उद्योग धन्धे बन्द करा दिये जायं। इसका कड़ाई से पालन हो रहा है और आगरा जनपद में सैकड़ों ईंट भट्ठे बन्द हो गये हैं, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे लोगों को परेशानियां हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ताजमहल के 20 कि0मी0 की परिधि में विद्युतीकरण कराने के आदेश दिये गये थे जिसके लिये 39 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई थी और 29 करोड़ रुपया शासन द्वारा दिया गया था। अभी 98.50 लाख रुपया बकाया है। 2001 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इसके लिये स्वीकृति प्रदान की। लेकिन विद्युतीकरण की योजना भी कहीं पर कुछ खम्भे पड़े है।, कहीं पर कुछ तार लगा दिया गया है और कहीं पर कुछ खम्भे गाड़ दिये गये हैं सारा काम अधूरा पड़ा है। महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से जी0 ओ0 जारी हुआ लेकिन उस पैसे का पता नहीं है कि वह पैसा कहां गया और कहां खर्च किया गया ? उस धन का पता लगाया जाय, और काम पूरा कराया जाय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विद्युतीकरण तत्काल कराया जाय यह आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

*पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)-

मा0 विधायक ने अपनी सूचना में यह कहा है कि ताज ट्रेपेजियम जोन के अन्तर्गत ताजमहल के 45 किमी0 की परिधि में कोई भी फैक्ट्री इत्यादि न चलाये जाने के आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हैं जिसके अनुपालन में ताजमहल की 20 किमी0 की परिधि में विद्युतीकरण कराये जाने के आदेश दिये गये थे जिसका लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा 30 प्रतिशत कार्य शेष है। जिसके लिए शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2001 द्वारा रुपये 9,98,50,000/- स्वीकृत किये गये, परन्तु कार्य अभी अवशेष है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ताज ट्रेपेजियम जोन के लिये गठित मिशन मैनेजमेंट बोर्ड तथा भारत सरकार की सीसीइए के अनुमोदन से आगरा एवं फतेहपुर सीकरी के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति का सुदृढ़ीकरण करने हेतु रुपये 39.09 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 1999 में योजना स्वीकृत की गयी थी जिसके सापेक्ष अब तक रुपये 31.32 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करने की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से प्राप्त हुई है। शासनादेश संख्या-5789/55-2001-3 (ताज)/99, दिनांक 11 फरवरी, 2002 द्वारा रुपये 9,98,50,000 (रुपये 9 करोड़ 98 लाख 50 हजार मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को स्वीकृत की गयी थी परन्तु पावर कारपोरेशन का कथन है कि उनके द्वारा उक्त धनराशि आहरित की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मुख्य महाप्रबन्धक श्री शिव पूजन राम मौर्य उपस्थित थे। उक्त बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से यह अपेक्षा की गयी थी कि निदेशक पर्यावरण विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करा दी जायं तथा यह भी बताया जाय कि रुपये 9.985 करोड़ की धनराशि से जो कार्य कराया जाना था क्या उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण हो जायेगा यदि नहीं तो संशोधित आगणन तैयार करके उस पर सक्षम स्तर से पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

इस सम्बन्ध में पुनः प्रमुख सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में दिनांक 2 अप्रैल, 2004 तथा 29 जून, 2004 को समीक्षा बैठक की गयी है जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से अपेक्षा की गयी कि उक्त धनराशि आहरित न करने और उसे ताज ट्रेपेजियम पर्यावरण संरक्षण निधि के खाते में बुक न करने के सम्बन्ध में महालेखाकार उत्तर प्रदेश से प्रमाण पत्र प्राप्त करके पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायें ताकि धनराशि को पुनः स्वीकृत करने पर विचार किया जा सके। अभी तक इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। इन्हें प्राप्त करके यथा आवश्यकतानुसार अवशेष धनराशि स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से हो गया ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह तो विभाग के किसी अधिकारी वाला बयान है। मंत्री जी सदन में कार्य-स्थगन पर जवाब दे रहे हैं। इसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

यह जवाब देना कि पावर कारपोरेशन से अपेक्षा की गई है कि वह यह करें, तो पावर कारपोरेशन कोई सरकार से अलग नहीं होता है मंत्री जी मंत्री की हैसियत से जवाब दे रहे हैं। मंत्रि-परिषद् की विधान सभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से इतर बात हो रही है। इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री ठोड़े लाल वर्मा

मंत्री जी ने जो 9 करोड़ 98 लाख 50 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई है उससे कार्य पूरा हो जायेगा अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो पुनः आगणन बनाकर अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। यह कार्य कब तक पूर्ण करायेंगे।

श्री अध्यक्ष

माननीय सदस्य को अपने कक्ष में बुलाकर जो वह जानकारी चाहें उपलब्ध कराएं दीजिए।

श्री हुकुम सिंह

मान्यवर यह कार्य-स्थगन का महत्वपूर्ण मामला है। मंत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री जी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से फारिग नहीं हो सकते कि यह फला विभाग का मामला है, या फला विभाग से यह अपेक्षा की है।

श्री अध्यक्ष

इस नियम 56 को सचना का 52 म पारवानत कर दत ह आर इस पर एक घण्टे का चर्चा स्वीकार करते हैं।

चूंकि कार्य समय है इसलिये आपे की दो तीन सूचनाओं को भी सुन लेते हैं। इसे अन्यथा में दुष्टान्त न माना जाय। अगली सूचना श्री प्रदीप जैन की बुन्देलखण्ड में विश्वविद्यालय झांसी में छात्रों से बढ़ाकर फीस लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'

मैं आपका आभारी हूं कि मुझे प्रथम बार बोलने का अवसर मिला। मैं सदन के समस्त वृजुर्ग सदस्यों का चरणों में नमन करते हुए साथियों को धन्यवाद देता हूं। मुझे सदन के संज्ञान में लाना है कि जो नये सदस्य चुनकर आते हैं उनका परिचय नहीं कराया जाता है। इससे किसी को यह पता नहीं होता कि हम विधायक हैं। मैं विषय पर आता हूं। बुन्देलखण्ड पहले पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। बुन्देलखण्ड के लोग ज्यादा परेशान हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 2 करोड़ लोग उच्च शिक्षा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के 40 कालेजों के माध्यम से लेते हैं। एक ओर जहां हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के छात्रों की फीस कम की है वहीं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश को न मानते हुए फीस में जबरदस्त रूप से बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। कानपुर और आगरा जैसे विश्वविद्यालय में 1200 रुपये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की फीस लेते हैं वहीं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में 2700 रुपये प्रवेश शुल्क लेते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के 40 जो विद्यालय/कालेज है वहां से 1 हजार रुपये बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति लेते हैं, जिससे कि छात्रों के विकास से कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में वहां पर छात्रों ने जबरदस्त आन्दोलन किया।

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड वैसे ही भयंकर सूखे की चपेट में है वहां के लोग एक-एक दाने के लिये परेशान हैं, बिजली और पानी के लिये परेशान है। माननीय मुख्य मंत्री जी जहां फीस कम करने की बात करते हैं वहां बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति के हठीले रवैये के कारण छात्रों पर जबरदस्ती फीस लगाई जा रही है। अभिभावकों के मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से एकत्रित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति ने अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिटी सेन्टर बनाया है जिसमें 70 लाख रुपये का स्वीमिंग पूल है और 60 लाख रुपये का फर्नीचर और एक बार भी उसमें है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने शुरुआत में ही कहा कि वे नये सदस्य हैं। मान्यवर, वे नये सदस्य है और बड़ी ईमानदारी से अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर उठा रहे हैं। बुन्देलखण्ड में शिक्षा जैसे विषय पर अपनी बात कह रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के लोग उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। अपनी-अपनी बात में लगे हुए है। जब उनकी बात ठीक से सुनी नहीं जायेगी और जो जवाब आयेगा वह सार्थक नहीं आने पायेगा। ऐसे में इनका विश्वास भी इस सदन के प्रति डिग जायेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य की बातों को सरकार ठीक से सुने और उसका सही उत्तर दे ताकि माननीय सदस्य की जिज्ञासा शान्त हो सके।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

बाजपेयी जी आप अन्य सदस्यों का समय कम लिया करें।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लोग बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में जो इस तरह से अधिक फीस ली जा रही है, उससे परेशान हैं। बुन्देलखण्ड में 2002 में सी0 पी0 एम0 टी0 की जो परीक्षा हुई थी उसमें 150-200 प्रत्याशी शामिल हुए थे उसमें से केवल दो ही प्रत्याशी आ सके। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 7 लोगों को जिनको जीरो अंक मिले थे 70-80 अंक आये। आज बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय जो बुन्देलखण्ड का एकमात्र विश्वविद्यालय है छात्रों के हितों को पूरी तरह नकार रहा है। जहां पूरे राष्ट्र के अन्दर ओपन यूनिवर्सिटी का ट्रेड चल रहा है। भारत सरकार ने इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का एक चिन्तन रखा था वहीं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति छात्रों की राशि को अपने भवन निर्माण में व्यय कर रहे हैं। न्याय की बात यह है कि जब कोई कुलपति होता है तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य उससे लाभान्वित नहीं हो सकता है। लेकिन श्रीमन्, उनकी धर्मपत्नी ने 6 महीने के अन्दर वहां से पी. एच0 डी0 की डिग्री हासिल की। जब छात्रों ने इसका जमकर विरोध किया जो कागजों में उसको 15-16 महीने करवा दिया है। मान्यवर, सेल्फ फाइनेंसिंग के द्वारा जो कोर्स चलाये जा रहे हैं दुर्भाग्य का विषय है कि 20 कोर्स ऐसे है जिनको राष्ट्र और प्रदेश के अन्दर कोई मान्यता नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की गरीब जनता का पैसा है इसमें आप निर्देशित करने की कृपा करें। गरीब आदमी पैसा कितनी मेहनत और परेशानी से कमाता है उस पैसे का दुरुपयोग बुन्देलखण्ड के कुलपति किस हिसाब से कर रहे हैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के आदेश के बावजूद फीस में बढ़ोत्तरी नियुक्तियों में लाभ, यह अनियमितताये हैं। मैं सदन के माध्यम से एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसमें कोई मानक नहीं है व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का रास्ता है 55 हजार रुपया तक बढ़ाकर दिया जा रहा है।

बी0 एड0 की परीक्षा में अनियमिततायें की गई हैं। गम्भीर अनियमितता हुई है। पूरे प्रदेश में छात्रों ने फीस कम करने के लिये जन आन्दोलन किया तो वहां लाठीचार्ज हुआ उस लाठीचार्ज में लोग घायल हुए पूरे प्रदेश में फीस कम करने के लिये जन आन्दोलन चल रहा है। बुन्देलखण्ड के अन्दर जो अनियमिततायें हैं मेरे पास बहुत सी कटिंग हैं जिसको मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड के अन्दर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का भवन निर्माण चल रहा है। इन्होंने कम्प्यूटर स्कूल भी खोल रखा है, 76 हजार लड़के हैं।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मुझे जीवन में प्रथम बार बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा इस महत्वपूर्ण विषय से दो करोड़ लोगों की जन भावनायें जुड़ी हैं 76 हजार लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस पर चर्चा कराई जाए।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पिछले हफ्ते मैं बांदा हमीरपुर खुद गया था वहां पूरे बांदा में फीस जहां और जगह कम की जा रही है वहां वाइस चांसलर 2800 रु0 फीस ले रहे हैं। कहीं विकास शुल्क नहीं लिया जा रहा है। लेकिन* इस युनिवर्सिटी में विकास शुल्क लिया जा रहा है। जैसे कि यह औरों से अलग यूनिवर्सिटी हो, इसको दिखवाने का कष्ट करें।

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना आदरणीय प्रदीप जैन जी ने दी है उनकी लिखित सूचना में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस और प्रवेश में कठिनाई अंकित है सूचना में जो निर्धारित शुल्क है उससे अधिक इस विश्वविद्यालय में लेने की कोई सूचना नहीं आई है यह लिखकर दे दें तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी एक बच्चा भी प्रवेश के लिये किसी कक्षा में बचेगा नहीं इस सरकार की और मुख्य मंत्री जी की यह नीति है इससे प्रदेश का कोई छात्र वंचित नहीं रहेगा। अन्य बातें विश्वविद्यालय में अनियमितता और भ्रष्टाचार की बात कही है वह भी लिखकर दे दें पूरी जांच करा ली जायेगी

*श्री प्रमोद कुमार-

नये सदस्य हैं इन्होंने बहुत कायदे से अपनी बातों को रखा है जैसी सूचना दी है और तथ्य रखे है उसकी जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने कह दिया है कि जांच करा लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

उच्च स्तरीय जांच कराकर एक सप्ताह तक सदन है अगले बृहस्पतिवार और शुक्रवार तक दे दें इन्होंने जो कहा है सब चीजें आ गई हैं। उचित यह होगा कि अगले बृहस्पतिवार या शुक्रवार को एक वक्तव्य दिला दें, हम चर्चा की बात नहीं कर रहे हैं। एक वक्तव्य सरकार अपनी सुविधानुसार दे दें, स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जब मंत्री जी ने कह दिया है कि जांच करा लेंगे। जांच में समय लगता है। 4-5 दिन में व्यवस्थित जांच नहीं हो सकती है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर फीस के सम्बन्ध में जो कठिनाई है, जो फीस बढ़ी हुई ली जा रही है, उसके बारे में तो एक वक्तव्य दिलवा दें। हम चर्चा की मांग भी नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि यदि अधिक फीस ली जा रही है तो उसे वापस करायेंगें तो इस पर वक्तव्य आ जाये।

श्री अध्यक्ष -

आप वक्तव्य की बात कह रहे हैं। वक्तव्य भी तो सारे तथ्यों को लेकर ही आ सकता है। मंत्री जी ने कह दिया है कि जांच करा लेंगें और आप को अवगत करा देंगें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, फीस के बारे में वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का कहना है कि जो बढ़ी हुई फीस ली जा रही है, जांच में यदि विलम्ब होगा तो विद्यार्थी काफी व्यथित हो जायेंगें। इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र जांच कराकर नियमानुकूल कार्यवाई करा दें।

श्री बंलराम यादव-

आपने जो व्यवस्था दी है, शिरोधार्य है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्वर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर जो लिखित सूचना है , उसके जो तथ्य हैं, उस पर वक्तव्य देने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

चौथी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर ,श्री जगदीश नारायण राय, श्री उमा शंकर कुशवाहा ,श्री राजेश कुमार, श्री कालीचरन राजभर, श्री [illegible]ी वर्मा, श्री ओ0 पी0 सिंह, श्री इन्द्रजीत सरोज और श्री ददूद प्रसाद की 'प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में' है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, बरसात महीने की यह जुलाई बीतने जा रही है और अभी तक बरसात न होने के नाते पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण आज खरीफ की फसलें नहीं बोई जा सकी है, धान की रोपाई नहीं हो पा रही है और मान्यवर, साथ ही साथ नहरों में पानी भी नहीं जा रहा है कि नहर के पानी से ही किसान धान की रोपाई कर सकें। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान त्रस्त हैं और ठीक से बरसात न होने के नाते जानवरों के लिये चारा भी नहीं

तैयार हो पा रहा है। पशुओं के लिये चारे का भी अभाव हो गया है और कहीं-कहीं सूखे के नाते समय से बरसात न होने के कारण भीषण बीमारियों का भी प्रकोप है। माननीय अध्यक्ष जी, एक ओर बरसात न होना, नहरों में पानी न जाना और दूसरी ओर किसान जो अपने ट्यूबवेल के सहारे धान की रोपाई करना चाहते हैं, अपने ट्यूबवेल के सहारे खरीफ की फसल को तैयार करना चाहते हैं बिजली न होने से किसान ट्यूबवेल नहीं चला पा रहा है और उसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरे प्रदेश का किसान तबाही की कगार पर है, हाहाकार मचा हुआ है। जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुये इससे निपटने के लिये सरकार की कोई व्यवस्था नहीं दिखायी पड़ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो किसानों पर सूखे की मार, नहरों में पानी का गयाब होना, बिजली न होने से ट्यूबवेल का न चलना और दूसरी ओर जो उन पर छोटे-छोटे कर्जे हैं उनकी वसूली की मार बहुत तेजी से चल रही है। मान्यवर, इसका जीता जागता नमूना अभी परसों ही बाराबंकी में मरौथा गांव में इस कर्ज वसूली की चपेट में मंशा नामक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आज जो भयावह स्थिति है इससे पूरे प्रदेश की जनता आन्दोलित है, आक्रोशित है। सरकार का सूखे से निपटने के लिये कोई कार्य न होने से और साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नहरों में पानी न देने के कारण, बिजली न होने के कारण पूरे प्रदेश में किसान आहि-आहि कर रहा है, आन्दोलित है और आक्रोशित है। इसलिये यह प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है, अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है और तात्कालिक भी है। आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ताकि यह पता लग सके कि इस समस्या से निपटने के लिये सरकार के पास कोई कारगर उपाय है कि नहीं। वे इसे सदन में प्रस्तुत करें। आज इस समस्या से मजदूर और किसान तबाही की कगार पर है, बच्चों की फीस के लिये उसके पास पैसा नहीं है और उल्टे कर्ज की वसूली हो रही है इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

(श्री सुखदेव राजभर जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, एक उधर से और एक इधर से ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आपका तो नाम है नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो प्रदेश में डायरिया और कालरा से मरने वालों के बारे में दिया है। मैं देख लेता हूं अभी इनको बोल लेने दें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अभी हमारे माननीय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े अहम् मसले पर अपनी बात रखी। मैं आत्यता के दो तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। मान्यवर, कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूरा रेड एलर्ट कर दिया था कि वास्तव में सूखे से हालत बिगड़ रही है। स्थिति बहुत भयावह हो गयी है। मान्यवर, पहली आत्यता तो यह है कि निश्चित तौर पर सूखा पड़ा है और कृषि अनुसंधान परिषद् ने कहा है कि अगर अगले सप्ताह तक बरसात नहीं हुई तो सन् 2000-2002

वाली स्थिति पैदा हो जायेगी और उसने एलर्ट घोषित किया है, मान्यवर, यह मैं नहीं कह रहा हूं यह कहा है कृषि निदेशक ने, महानिदेशक ने कहा है कि अगर अब बरसात होगी भी तो किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारी जो मक्का की फसल है जिसे जुलाई में ही पानी की जरुरत पड़ती है, वह भी सूख गई है, पशुओं के चारे के लिये जो चरी, बाजरा आदि बोया जाता था, वह पानी के अभाव में नहीं बोया जा सका। पशुओं के लिये एक भी चारा तैयार नहीं हो पाया है, मान्यवर, प्रदेश को सूखा ग्रस्त प्रदेश घोषित कर देना चाहिये। मान्यवर, जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार, इटावा, औरैया, हमीरपुर, कन्नौज और उसमें हमारा तहसील लाल गंज तहसील ज्यादा प्रभावित हो गई हैं, मान्यवर, यहां धान समेत एक भी फसल की रोपांई नहीं हो पाई है, सारे किसान तबाह हैं। मान्यवर, सरकार के अधिकारी, उनकी मशीनरी बोल रही है कि प्रदेश में सूखे की स्थिति बहुत खराब है और अगर अगले सप्ताह तक बरसात नहीं हुई तो यह स्थिति और भी खराब हो जायेगी। मान्यवर, हमीरपुर, इटावा, कन्नौज और औरैया की स्थिति बहुत बुरी है, मान्यवर, कल एक आंकड़ा आया था कि 45 सौ एकड़ जर्मीन सूखे से प्रभावित होगी। मान्यवर, पूर्वांचल की स्थिति बहुत खराब है, आप पता लगा लें वहां विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग तेजी से फैल रहे है, डायरिया से लोग परेशान हैं, बच्चे मर रहे हैं, इसी समय पशुओं में बहुत तेजी से रोग फैलते हैं मान्यवर, आज इन रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं को एक भी टीका नहीं लगाया गया है, पूरे पूर्वांचल में कहीं भी किसी गांव में आप चले जायें यही स्थिति बनी हुई है, चाहे इन्सान हो चाहे जानवर किसी की भी दवाई का इन्तजाम नहीं हुआ है, दूषित पानी पीने से, डायरिया से कई लोगों की, बच्चों की मृत्यु हो गई है। किसान सूखे से त्रस्त है मक्का, धान समेत सारी फसलें सूखती जा रही है, साथ ही साथ विभाग द्वारा जो विद्युत नलकूप लगाये गये थे, वह भी समुचित बिजली न मिलने के कारण नहीं चल पा रहे हैं, जो नलकूप होते हैं उनमें से 60 नलकूपों की ही रिपोर्ट आती है कि 60 प्रतिशत विद्युत दोष की वजह से और 20 प्रतिशत मैके निकल दोष की वजह से बन्द हो चुके हैं, मान्यवर, मैकेनिकल दोष जो बहुत थोड़ा सा होता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाय तो यही ठीक हो सकता है, लेकिन उन्हें भी नहीं ठीक कराया जा सका है, समय से बिजली नहीं दी जा रही है। मान्यवर, इसी तरह से नहरों के विषय में है, आप पता लगा लें विभाग की जो रोस्टिंग है कि आज इस नहर को पानी दिया जायेगा कल उस नहर को दिया जायेगा, मान्यवर, जब तक उनकी नहर में पानी आयेगा तब तक सारी फसल सूख जायेगी। अगर एक हफ्ते तक मक्का, धान आदि फसलों को पानी नहीं मिला तो वह पूरी की पूरी फसल सूख जायेगी, इसलिये मान्यवर, यह बहुत ही अहम् मसला है और भारत सरकार ने भी कहा है कि हमारे प्रदेश के 49 जनपद सूखे से प्रभावित हैं। मान्यवर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की रिपोर्ट है, महानिदेशक की सर्वे रिपोर्ट है। प्रदेश निश्चित रूप से सूखे से प्रभावित है। निश्चित रूप से वसूलयाबी बन्द करा दी जायें। छात्रों के शिक्षण शुल्क में रियायत दी जायें। हर तरह की वसूलियों को कम किया जाय और किसानों का शोषण बंद किया जाय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिले में 9-9 7-7 लाख रु0 का आवंटन गया है उसमें टी0 आर0 27 से दिया जायेगा। मान्यवर, कहीं पर भी टी0 आर0 27 से धनराशि प्राप्त करने के लिये ट्रेजरी में धन की व्यवस्था नहीं है। कोई घटना हो जाय तो टी0 आर0 27 से व्यवस्था नहीं हो पाती है।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, इनका पूरे धान का रोपण हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी कह रहे हैं कि आपके पूरे धान की रोपाई हो गयी है आप सूखे से प्रभावित नहीं है।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, डीजल से कराये हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

डीजल से कितना हो पाता है ?

मान्यवर, पूर्व माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुये हैं आपका पूरा जिला प्रभावित है, हम लोग दिल्ली जा रहे थे तो देखा कि इटावा मैनपुरी औरैय्या सब जगह सूखे का प्रभाव है। यह किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें हम सब चर्चा की मांग को स्वीकार कर लें। उसमें सब माननीय सदस्यगण बोल लें। चाहे 2 अगस्त को ले लें या 3 अगस्त को चर्चा करा लें। तब तक सभी गलत वसूलियों को रुकवा दें। यह विषय ग्राह्य होने योग्य है अगर कोई अग्राह्य करने के लिये कहेगा तो वह भी डायरिया का शिकार हो जायेगा।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, इसमें चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक घंटे की चर्चा स्वीकार हो गयी।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जितनी बातें माननीय राजभर जी ने कही है यह सभी कपोल कल्पित हैं।

सच्चाई का सामना करने से यह लोग मान्यवर डरते हैं देखिये सदन छोड़कर भाग रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सूखे की विषम परिस्थिति पर सरकार की असंवेदनशीलता के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम इस सवाल पर चर्चा कराने के लिये तैयार हमारे पास समस्त आंकड़े हैं। मान्यवर, इनके भगोड़ेपन के चलते जितने बड़े-बड़े गेडल मिले हुये हैं उसमें भागने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा की मांग तो हमने स्वीकार कर ली है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह कहा गया कि टी0 आर0 27 में धन की व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार ओवर ड्राफ्ट पर चलने वाली सरकार नहीं है। पुराने समय में तो एक एक दिन के लिये रोक लगी हुई थी। जितनी धनराशि की आवश्यकता है, मैं राहत मंत्री की हैसियत से कहना चाहता हूं कि दैवीय आपदा में राहत के लिये हमारे पास धन का अभाव नहीं है किसी भी पीड़ित व्यक्ति को राहत देने के लिये तत्काल व्यवस्था है। इसके लिये जिलाधिकारियों को निर्देश भी है कि उसको सेक्शन करने के लिये गर्वनमेंट में एप्रूवल के लिये भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। चाहे बिजली की दुर्घटना से या डूबने से कोई घटना हुई हो उन तमाम चीजों पर उनको राहत देने का अधिकार है। जो लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग गये हैं उनके लिये मैं समीक्षा ही कर सकता हूं उन पर तरस आता है। वे पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट हासिल करके दिखाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिये एक घंटे की चर्चा स्वीकर कर ली है। इस नियम 56 की सूचना पर नियम 52 में एक घंटे की चर्चा होगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माह जुलाई के महीने में सामान्य वर्षा से जहां कम वर्षा हुई है और अवर्षण की स्थिति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड का इलाका सूखाग्रस्त स्थिति में है, क्या ऐसे जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी, जब चर्चा निर्धारित हो गयी तो उसी में कहियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, उन इलाकों में जहां 50 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सूचना पर बोलिये।

अगली सूचना है श्री प्रमोद कुमार, श्री रामनरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्यामसूरत उपाध्याय और श्री विवेक वंसल जी की प्रदेश के कई अंचलों में डायरिया एवं कालरा जैसी संक्रामक बीमारियों से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि एक ऐसे लोकमहत्व के विषय पर आपने मुझे अवसर दिया है जो किसी सीमित दायरे में या एक क्षेत्र में नहीं बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र में आज इस डायरिया के प्रकोप से न केवल लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि मृत्यु हो रही है। जहां तक मैं कहूंगा कि किस तरह से डायरिया का प्रकोप जितने नैपाल की सीमा से जुड़े हुये जिले हैं सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोण्डा, श्रावस्ती है, बहराइच है इस सब जनपदों में डायरिया की महामारी का प्रकोप है। मेरे क्षेत्र में बेहिल गांव है उसमें तीन लोग इस महामारी से मर गये यह तो एक गांव का हाल है। जब मैंने जिला प्रशासन से कहा तो लखनऊ से टीम गयी उसके बाद उस गांव की मृत्यु दर रुकी लेकिन आज पूरे प्रदेश में प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर खुद हमारे पड़ोस का जनपद है उसमें डायरिया का प्रकोप है,

आजमगढ़ में प्रकोप है तो आज पूरे प्रदेश में महामारी की स्थिति पैदा हो गयी है और इस डायरिया से कालरा से पूरे प्रदेश में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गयी है। इसमें जो प्रदेश में कन्ट्रोल रूम बनाये गये हैं उनको प्रभावी कार्रवाई करना चाहिये। जिला स्तर पर जब स्वास्थ्य विभाग से हम कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि छिड़काव कर सकें गांव-गांव में। ब्लाक स्तर पर दवाइयों की कमी के कारण जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उसके संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी है। यह तात्कालिक है, लोक महत्व का है और सुनिश्चित है। हमने अपनी सूचना में उन तमाम जनपदों बस्ती, कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, आजमगढ़ आदि का उल्लेख किया है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बताने की कृपा करेंगे कि डायरिया के संबंध में उनकी सूचना मिली है उसमें प्रदेश में कितनी मृत्यु हुई है और डायरिया को रोकने के शासन ने कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये हैं। डायरिया, काल०, हैजा के लिये धन का आवंटन किया है या जिला स्तर पर सी0एम0ओ0 का क्या पैसा दिया है इस सम्बन्ध में जानकारी प्रदेश की जनता को होनी चाहिये क्योंकि आज पूरे प्रदेश में हास्पिटल की बात छोड़िये अगर वह लोग जिनको डायरिया हो रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट डाक्टर्स के यहां जा रहे हैं उनकी मृत्यु हो रही है उनकी संख्या भी शासन के पास नहीं है तो इससे ज्यादा और कोई गम्भीर बात हो नहीं सकती है। आप स्वयं भिज्ञ है कि इस प्रदेश में डायरिया का कितना प्रभाव है जिससे तमाम सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं अस्पतालों में जा रहे हैं, इसलिये यह लोक महत्व का सुनिश्चित प्रश्न है इसकी ग्राह्यता को स्वीकार कर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी ने जिस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न को सदन के सामने रखा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। कालरा डायरिया से, मैं समझता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित आपका जनपद भी पीड़ित है। हमारे जिले में तो एक मुसहर गरीब मर गया, कितने लोग बीमार पड़े है। दस-बीस गांव ऐसे हैं, जिनके बारे में मैंने पिछले दिनों जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित किया था, टीम भेज कर व्यवस्था कराने के लिये, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिये, वह नहीं है। पता लगाने से पता चला कि जो साधन उपलब्ध होने चाहिये, वह उपलब्ध नहीं हैं। जिसके कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। इलाहाबाद, कानपुर, आजमगढ़, आदि तमाम जिले इससे प्रभावित हैं। अभी लालजी वर्मा ने बताया कि 3-4 लोग उनके यहां मर गये, इस तरह की स्थिति आज पैदा हो रही है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। सरकार को गम्भीर होकर, सदन को स्थगित कर इस विषय पर चर्चा करानी चाहिये। सरकार को इस बात के लिये आश्वस्त करना चाहिये कि ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुये यदि कोई भी व्यक्ति बीमार होगा, तो वह मरने नहीं पायेगा और हर तरह की दवा की व्यवस्था की जायेगी। यह भी जानकारी आनी चाहिये कि अब तक कितने लोग कालकवलित हुये हैं। इन सारी परिस्थितियों पर विचार कर, इससे महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय, लोक महत्व का प्रश्न और कोई हो नहीं सकता। यह जनजीवन से और स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न है। प्रदेश के 20-25 जिले इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में गम्भीरता के साथ विचार करे और विचार करके तत्काल इससे जुड़े अधिकारियों को निर्देश दे, साथ ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैसे की व्यवस्था करे, डाक्टरों की टीम भेजी जाय ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का समाधान हो सके और लोगों का जीवन बचाया जा सके।

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

मान्यवर, डायरिया के प्रकोप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के व्यक्ति प्रभावित हैं। इलाहाबाद, भदोही, जौनपुर और आसपास के जिलों में मुझे सूचना प्राप्त हुयी है कि डायरिया बड़ी तेजी से फैल रहा है और दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बड़े व्यापक तरीके से बीमारी फैल रही है और लोग मर रहे हैं। आजमगढ़ में मुसहर बस्ती में 30-30 लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, एक मुसहर की तो मौत भी हो गयी है। विकास खण्डों में दवाइयां उपलब्ध नहीं है, वहां पर डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं। बड़े पैमाने पर 8 हजार डाक्टरों का तबादला हो चुका है और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टर लखनऊ में टहल रहे हैं, मंत्रियों के यहां चक्कर लगा रहे हैं, तबादला रुकवाने या बदलवाने के लिये। अस्पतालों में सूचना देने के लिये कोई आदमी उपलब्ध नहीं है और कोई दवा का इन्तजाम नहीं है। मेरे क्षेत्र में पूरे मघई में 30 लोगों को डायरिया हो गया। मान्यवर, टिकरी, करहावाद, हरिपुर पट्टी, धनुपपुर, फूलपुर में बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, लेकिन कहीं कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं है। इलाहाबाद से डाक्टरों की टीम गई, अब तक 2 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। हरिपुर पट्टी में 30 साल का लड़का था, मौत के मुंह में उसको जाना पड़ा। इस संवेदनशील विषय पर यह सरकार इतनी उदासीन है और पूरे प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची है, न दवा का इन्तजाम है, न डाक्टर का इन्तजाम है, न सरकार इस ओर कोई विशेष तवज्जो दे रही है। मान्यवर, आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृ.. करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह बीमारी महामारी के रूप में फैल गयी है, कुछ जनपद बताये गये हैं लेकिन मान्यवर, उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा जनपद बचा हो जिसके किसी न किसी अंचल में डायरिया न फैली हो। मेरा इस प्रश्न को उठाने का सिर्फ यह आशय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के तहत 10 वर्ष से जो चिकित्सक एक ही जगह पर कार्यरत है उनका स्थानान्तरण हो गया। ज्यादा से ज्यादा डाक्टर इस समय रिलीव हो चुके हैं और जो रिलीव हो गये हैं उन्होंने अभी नयी जगह पर ज्वाइन नहीं किया है। डायरिया के प्रकोप को देखते हुए यह सरकार यह आदेश दे कि जब तक डायरिया का प्रकोप नियन्त्रित न हो जाए तब तक डाक्टरों की यथास्थिति बनाये रखी जाए।

(नेता प्रतिपक्ष के उठने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

अरे मान्यवर, आप कहां जा रहे हैं ?

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

थोड़ा प्रकाशन ले आऊं।

श्री प्रमोद कुमार-

जल्दी जाइये कहीं उसका प्रभाव यहां पर न हो जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

मान्यवर, मैं यह आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं बल्कि सुझाव के रूप में कह रहा हूं। डायरिया के लिए एक विशेष कोष की स्थापना और हर जनपद में ब्लीचिंग पाउडर और डायरिया को नियंत्रित करने के लिए दवाइयां भेजी जांए। जो गांव इससे प्रभावित हों उन गांवों में डाक्टरों की एक टीम 24 घण्टे में पहुंचे और अस्थायी चिकित्सालय बनाकर वहां पर निश्चित रूप से उनका उपचार किया जाए। जो लोग अकाल मौत में समा गये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मृतकों के आश्रितों को कम से कम एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, प्रदेश के कुछ जिलों में इस तरह के रोग का प्रभाव है। मान्यवर, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों पर इस रोग से निपटने के लिए दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। जो बात आप कह रहे हैं उसको दिखवा लिया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए निर्देश जारी किये हैं, विशेष रूप से ध्यान दिया है और डायरिया या किसी भी बीमारी से निपटने के लिए पूरा प्रशासन और सरकार सतर्क है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे निपटा न जा सके, जो सुझाव आए हैं उनका पालन किया जाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आर्थिक सहायता देने के सुझाव पर भी विचार किया जाए।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, अभी तक मृत्यु की कोई सूचना नहीं है अगर कोई सूचना होगी तो उसे देखा जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह तो मेरा सुझाव था, सरकार के पास स्वयं कठिनाई है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है कि 10 वर्ष से एक जगह पर काम कर रहे डाक्टरों को हटाया जाए, जिसके कारण बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण हो गये। हम तो सरकार की मदद करना चाहते हैं, डाक्टर उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, आप तो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, कठिनाई को समझ सकते हैं। जब डाक्टर ही नहीं होगा तो डायरिया जैसी बीमारी कैसे रुकेगी ? डायरिया जैसी बीमारी ऐसे ही नहीं होती है जैसे कि टण्डन जी को हो गई।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

सरकार ने कहा कि व्यवस्था है। मान्यवर, विधान सभा में, सदन के भीतर व्यवस्था नहीं है, तो गांवों में क्या व्यवस्था होगी ?

श्री प्रमोद कुमार-

मैं माननीय बाजपेयी जी की चिन्ता से अपने आपको जोड़ता हूं। यहां व्यवस्था नहीं है और इनके नेताजी को जरूरत थी। मैं एक आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी से कि कोई जल्दबाजी न करें। प्रतापगढ़ के बारे में मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं राजातारा और खारा पूरेछेना में 5 से ज्यादा लोग मर गये हैं। मैं स्वयं वहां गया था और उनके दुःखी परिवारजनों से मिला और अपनी जेब से उनकी आर्थिक सहायता की। सरकार ने कह दिया कि कोई मौत नहीं हुई। माननीय पाल साहब के विधान सभा क्षेत्र में 3 लोग मर गये है। माननीय अध्यक्ष जी आप तो बोलेंगे नहीं, आपके विधान सभा क्षेत्र में भी मौतें हुई है। मैंने तो गांव बता दिये, जनपद बता दिया। सरकार इतनी सूचना दे दे कि

अगर मौतें हुई है तो आर्थिक सहायता दी जायेगी। मान्यवर, हाईकोर्ट का आर्डर अपनी जगह है लेकिन जब तक डायरिया कण्ट्रोल न हो जाए तब तक डाक्टरों को रिलीव न किया जाए।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, नियम-56 जो आता है वह सुझाव के रूप में ही आता है। माननीय प्रमोद कुमार जी ने अपनी सूचना के माध्यम से सुझाव दिया है उसको दिखवाकर पूरी निदान और व्यवस्था करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर माननीय प्रमोद कुमार जी और माननीय पंचायत राज मंत्री बलराम यादव जी को सुनने के पश्चात् इसको निरस्त किया जाता है।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव सिंहावली स्थित है। वहां पर जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उन लोगों की निर्मम हत्या घरों में घुसकर कर दी गयी। 25 लोग घायल किये गये, जो मेडिकल कालेज और जिला अस्पताल में जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल एक बच्चे के कुचलने के कारण वहां ऐसा ताण्डव हुआ। बार-बार पुलिस को सूचना देने के बाद भी घण्टों तक पुलिस वहां नहीं पहुंची जबकि एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाना स्थित है। यदि पुलिस समय से वहां पहुंच गयी होती तो यह ताण्डव न होता। मान्यवर, कई गांव उजड़ गये हैं, जो दलित लोग है वे गांव छोड़कर जा रहे हैं। वहां पर भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। ऐसी स्थिति में यह सूचना देनी पड़ी। सबसे गम्भीर बात यह है कि इसमें 29 लोग नामजद हैं, जिसमें केवल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। मैंने स्वयं जानकारी प्राप्त की उसके आधार पर कह सकता हूं कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति पुलिस-प्रशासन पर दबाव बनाये हुये हैं जिससे कोई कार्रवाई न हो सके क्योंकि यदि पुलिस प्रशासन पर दबाव न होता तो धारा-82 व 83 की कार्यवाही होती और इस वक्त तक उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही हो जाती। जो मृतक हैं उन दो लोगों के परिवारों को डेढ़-डेढ़ लाख रुपया मिला है। मान्यवर, जिनके साथ घटना हुई है उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार का यह दायित्व बनता था, यदि वह थोड़ी भी संवेदनशील रही होती तो 5-5 लाख रुपये की सहायता कर देती।

मैं मांग करता हूं कि कम से कम दो दलित परिवारों को 5-5 लाख रुपये की सहायता दी जाय जो गम्भीर रूप से घायल हैं उनका इलाज कराने के साथ-साथ उनको भी सहायता दी जाय। वहां का प्रशासक संवेदनहीन हो गया है टेलीफोन पर सूचना भेजी जाती है लेकिन मौके पर पुलिस अधिकारी नहीं जाते हैं। इस बिन्दु की भी जांच होनी चाहिए। इस घटना में 2 आदमियों की हत्या हो गयी 25 घायल हो गये। एक मासूम बच्ची भी थी जिसे गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया जब उसके परिवार के लोग उसको अस्पताल लेकर जाते हैं तो उन लोगों को डाक्टर धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और उसका उपचार नहीं करते हैं। आपने एक फार्मासिस्ट को सस्पेण्ड कर दिया है जबकि सी0एम0ओ0 और वरिष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी। इसी तरह से जो पुलिस अधिकारी मौके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर नहीं गये उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार का वक्तव्य आये और 2 तारीख को कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा होने जा रही है उसमें भी इस सूचना को जोड़ दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में जो चर्चा होगी इसको उसमें जोड़ दिया जायेगा।

श्री बलराम यादव-

कानून व्यवस्था पर जब चर्चा होगी तो इसको उसमें जोड़ दें।

श्री चितरंजन स्वरूप-

मान्यवर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। दो चीजों के बारे में कहना चाहता हूं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अचानक ही घटना हुयी थी जिसको विपक्षी नाहक तूल दे रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

जब सत्ता पक्ष के लोग कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब चर्चा होगी तो आपको अवसर मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह-

24 तारीख की घटना है सरकार के पास कोई सूचना नहीं है इससे ज्यादा संवेदनहीनता की बात और क्या हो सकती है ?

श्री चितरंजन स्वरूप-

सरकार के पास जिला प्रशासन की सूचना आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की, प्रदेश की प्रशासनिक सेवा पी0सी0एस0 अधिकारियों के प्रोन्नत किये जाने से सम्बन्धित है यह विशेष उल्लेख के रूप में है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मैं आपका आभारी हूं कि आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा जो पी0सी0एस0 कैडर कहलाता है उसके सामने अपनी प्रोन्नति का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। 51 पद खाली हैं जो पी0सी0एस0 से आई0ए0एस0 बनने हैं और 7 पद ऐसे हैं जो अन्य सेवाओं से आई0ए0एस0 बनने हैं। इन सेवाओं से आई0ए0एस0 बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद डी0पी0सी0 की तिथि निर्धारित होगी और उसके बाद इन सेवाओं से आई0ए0एस0 बनेंगे लेकिन सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि किनका चयन हो इसलिए संघ लोक सेवा आयोग से समय नहीं मिल पा रहा है और डी0पी0सी0 टाली जा रही है। पी0सी0एस0 कैडर के जो लोग हैं उनकी 54 साल की उम्र हो गई तो वह प्रोन्नति के हकदार नहीं रह जाएंगे वर्ष 1973, 1974, 1975 बैच के अधिकारी इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि यदि प्रोन्नति हो

जाए तो उनके बीच के लोगों को आई0ए0एस0 में प्रोन्नति मिल जाएगी। प्रोन्नति के लिए प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी आशा लगाए रहते हैं। यह हमारी सन्तानें हैं उत्तर प्रदेश में चाहे किसी दल की सरकार हो प्रदेश का प्रशासन पी0सी0एस0 अधिकारियों पर निर्भर है, यह हाथ और पैर हैं। हम विधायक गण जो चुनकर आते हैं तो इनके हस्ताक्षर से ही हमें चुनाव जीतने का प्रमाण-पत्र मिलता है। यह महत्वपूर्ण विषय है और वर्षों से लम्बित है। उत्तर प्रदेश में 31 साल की सेवा के बाद किसी अधिकारी का आई0ए0एस0 की प्रोन्नति पर नम्बर आता है जबकि अन्य प्रदेशों में 16-17 साल की सेवा के बाद आई0ए0एस0 में प्रमोशन में नम्बर आ जाता है। कृपा करके इस पर विचार कर लें। यह जो 1973,74,75 बैच की हमारी सन्तानें हैं यह हमारे प्रदेश के अधिकारी हैं इनमें 51 अधिकारियों को प्रमोशन मिलना है सात अन्य सेवाओं के लोगों को डी0पी0सी0 करके लेना है। इसमें भारत सरकार के अधिकारियों से मिलकर लोक सेवा आयोग से तारीख तय करनी है। अगर यह कार्य शीघ्र नहीं किया गया तो पी0सी0एस0 सेवा के कुछ अधिकारी 54 साल के हो जाएंगे और दर पर आकर दम तोड़ देंगे। उनको 6 साल की सेवा फिर भी करनी है लेकिन फिर वह कुंठा से कार्य करेंगे। चाकू चाहे खरबूज पर गिरे या खरबूज चाकू पर-कटेगा खरबूजा ही उसी प्रकार इसका अल्टीमेटली नुकसान जनता को ही होगा और इसका असर प्रदेश के विकास पर पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग से समय लेकर और भारत सरकार से अनुमति लेकर डी0पी0सी0 से 7 लोगों के नाम तय कर दें जिससे पी0सी0एस0 के 51 अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिल सके। नहीं तो जो अधिकारी 54 साल के हो जाएंगे वह पाले पर आकर दम तोड़ देंगे और बाकी 6 साल की सेवा कुंठा से ग्रसित होकर करेंगे। ऐसी परिस्थिति न पैदा हो इस दिशा में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री बलराम यादव-

यह प्रोन्नति का जो प्रकरण श्री बाजपेयी जी ने बताया है तो इनके संगठनों द्वारा विभिन्न कैट में माननीय उच्च न्यायालय में कुछ मुकदमों में लम्बित है। इसीलिए इसमें विलम्ब हुआ है। तीन अगस्त को इसमें तिथि निर्धारित है उच्च न्यायालय में। उसमें इसका निर्धारण हो जाएगा उसके बाद डी0पी0सी0 कराकर प्रोन्नति देने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री ओ0 पी0 सिंह की है।

*श्री ओम प्रकाश 'ओ0पी0सिंह'-

मान्यवर, आज नियम-300 में औचित्य के विषय पर व्यवस्था की मैंने मांग की उसको 56 में परिवर्तित करके आपने विशेष उल्लेख में लिया। 27 जुलाई, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत मैंने एक नोटिस दी थी जिस पर 29-7-04 को सरकार का वक्तव्य था मैं उस वक्तव्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें सरकार द्वारा मुख्य मंत्री द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि माननीय विधायक जी ने 22-7-04 को जनपद सुल्तानपुर के अधिकारियों को बताया कि उक्त गांव विद्युतीकृत है लेकिन तार नहीं है। जब दुबारा गांव में सर्वेक्षण कराया गया तो पाया गया कि 1.8 कि0मी0 तार चोरी चला गया है जिसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए 22 [illegible]ख को अवर अभियन्ता व एस0डी0ओ0 गोसाईगंज में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने गए लेकिन एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो सकी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिशासी अभियन्ता सुल्तानपुर ने अपने पत्र दिनांक 27-7-04 द्वारा एस0एस0पी0, सुल्तानपुर से निवेदन किया कि एफ0आई0आर0 दर्ज करायें। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की सरकारी सम्पत्ति की चोरी का मुकदमा सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिखाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद भी नहीं लिखा जा रहा है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है इससे पूरे प्रदेश के हाल का पता चलता है। यह इस बात को परिलक्षित करता है कि सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि मुकदमे न लिखे जायं। मान्यवर, इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यह संवैधानिक संकट आ गया है। सरकारी सम्पत्ति की चोरी की एफ0आई0आर0 जब सरकारी कर्मचारी नहीं करा पा रहे हैं तो आम जनता की चोरी का मुकदमा इस प्रदेश में कैसे कायम होगा ? सरकार बाजीगरी करके अपराधों के आंकड़ों को कम दिखा रही है यह इस घटना से परिलक्षित होता है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सरकारी सम्पत्ति की चोरी की एफ0आई0आर0 सरकारी कर्मचारी नहीं करा पाये। यह आपके संज्ञान में है और सदन की कार्यवाही में है। यह सदन की कार्यवाही का एक हिस्सा है।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह काले अध्याय के रूप में न लिखा जाय।

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आ जाने के बाद क्या एफ0आई0आर0 दर्ज हो जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, स्वामी प्रसाद जी ने एक प्रश्न पूछा है कि संज्ञान में आ जाने के बाद एफ0आई0आर0 लिखी जायेगी कि नहीं। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद लिखी जाना निश्चित है। जहां भी अपराध होंगे और कोई भी एफ0आई0आर0 लिखवाने के लिये जायेगा निश्चित रूप से दर्ज की जायेगी। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, इस चोरी की घटना के अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद भी उस सम्बन्ध में सम्यक् कार्यवाही न किये जाने के बारे में गम्भीरता से जांच करा ली जायेगी। मान्यवर, यह न तो अविलम्बनीय है न ही नियम-56 में आती है इसलिये इसको निरस्त कर दिया जाय।

श्री ओम प्रकाश 'ओ0 पी0 सिंह'-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

स्वामी प्रसाद जी ने बात कह दी है मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। अब आप बैठ जायं। कुछ नहीं लिखा जायेगा।

नोट:-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

ओ0 पी0 सिंह जी को यह बता दें कि उस चोरी में [x x x] गोल होगी तो भी बचेगी नहीं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया था कई दिनों से नियम-311 में सूचना लगा रहा हूं आपसे कक्ष में भी मैंने जाकर विनम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि आप मेरी बात सुन लें। आपने मेरी बात सुनने और नियम-311 से नियम-56 में परिवर्तित करके सुनने का आश्वासन दिया था। मैं आश्वस्त होकर प्रसन्नता के साथ चला आया कि मैं अपनी बात कहूंगा। सदन के सदस्य उसको संज्ञान में लेंगे, सरकार उसका संज्ञान लेगी और फिर उसका परिणाम सामने आएगा। मैंने किसी प्रकार की आलोचना किसी प्रकार का विद्रोह उस सूचना में नहीं किया था, मैंने आपसे निवेदन भी किया था, क्या हम जनहित की बात इस सदन में नहीं कह सकते हैं आपके द्वारा आश्वासन दिया गया [x x x] मैं आज सुबह आपके कक्ष में मिला था आपने कहा था नियम-56 में विशेष उल्लेख में इसको सुन लिया जाएगा, लेकिन नहीं सुना गया मैं जानना चाहता हूं आपके आश्वासन के बाद इस सदन में हमारी बात नहीं आएगी, अगर सदन हमारी बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अपनी बात कहें क्या कहना चाहते हैं ?

*नगर विकास, राज्य मंत्री (श्री नारद राय)-

सदन की गरिमा रही है पीठ के निर्णय पर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है। सतीश महाना जी वरिष्ठ सदस्य हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जैसा आरोप लगाया है यह उचित नहीं है खेदजनक है।

(व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

अगर आप कह रहे हैं वरिष्ठ सदस्य हैं तो आपको मेरी वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए। मान्यवर, आपसे बात हो रही है यह बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात सुन लें आपकी दो सूचनायें हैं।

गंगा बैराज का जो कानपुर का विषय है यह महत्वपूर्ण विषय था इसको नियम-51 में स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी बिजली की बात कही गई है बिजली पर चर्चा लगी है जिसको नियम-311 में देना चाहते हैं। इसमें कह सकते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मामले आ गए सूखे का मामला आ गया है आप बतायें कहना क्या चाहते हैं, बोलिए ?

(व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

मैं क्षमा चाहता हूं आवेश में आ गया, मेरा आवेश करना स्वभाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आवेश में नहीं आना चाहिए था आप बात कहें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कानपुर 40 लाख की आबादी का शहर है उत्तर प्रदेश में भीषण पेयजल का संकट न हो इसके लिए सारे बड़े शहर नदी के किनारे बसे हैं। नदी के माध्यम से उन शहरों को पेयजल की आपूर्ति होती है। श्रीमंत् जैसे-जैसे आबादी बढ़तीं गई गंगा नदी कानपुर से दूर होती गई। इस कारण वहां बंधा बनाकर कानपुर को पीने का पानी उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई 1992 में यह योजना बनी उस समय यह 73 करोड़ की थी। 14 जुलाई, 95 में विधान सभा में इसी माननीय सदन में मैंने यह बात उठाई थी।

मान्यवर, 14 जुलाई, 1995 में मेरे उस प्रश्न के बाद कानपुर महानगर के लिए 10 करोड़ रुपये उस बैराज का कार्य प्रारम्भ करने के लिए स्वीकार किया गया था। उस पर काम शुरू हुआ, 1996-97 के बाद पुनः मेरे को इस सदन में हमारी पार्टी ने नगर विकास मंत्री का दायित्व दिया। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं सदन के संज्ञान में अपनी बात लाने के लिए, सरकार के संज्ञान में लाने के लिए खड़ा हुआ हूं, 300 करोड़ रुपये जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, गंगा बैराज पर लग चुका है और 95 प्रतिशत कार्य उसका पूर्ण हो चुका है लेकिन पिछले एक वर्ष से काम रुका हुआ है। इतना धन व्यय होने के बाद भी यदि 5 प्रतिशत बचा हुआ कार्य पूरा नहीं होता है तो यह किसी को शोभा नहीं देता। सारी राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर मैं स्वयं माननीय नगर विकास मंत्री जी के कार्यालय में चलकर गया और पूरी वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया कि गंगा बैराज का 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, आप स्वयं चलकर देख लें। उनका एक महीने का ही कार्यकाल हुआ था, सितम्बर में मैं उनके पास गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि आप इस काम को पूरा कराने के लिए यहां आए हैं। वह वहां पर गए और उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट देखा, मैंने उनसे कहा था कि यह जनवरी में पूरा हो सकता है, अध्यक्ष जी, मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं तो लाल बत्ती जला देना। उन्होंने कहा था कि यह जून में पूरा हो जायेगा। मान्यवर, मैं खेद के साथ कह रहा हूं कि वह काम अभी तक अधूरा पड़ा है। मान्यवर, कानपुर गंगा बैराज किसी एक विधान सभा के लिए नहीं है, कानपुर की पूरी 40 लाख जनता के लिए है, यह योजना पूरे उन्नाव को प्रभावित करेगी। यह प्रदेश की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी पेयजल योजना है, इससे बड़ी पेयजल योजना और कोई नहीं है ? इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम-51 में स्वीकृत है, जब वक्तव्य आए तब पूछ लेना।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सरकार की रिपोर्ट में है कि 99.5 प्रतिशत गंगा बैराज का काम हो चुका है, ओवर आल 95 प्रतिशत काम पूरा हो जाने के बाद काम रुका हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात पूरी हो गई है। जब वक्तव्य आए तब पूछ लेना।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह सदन प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए है। केवल उत्तर आ जाने से काम नहीं होगा, बहुत से टी0वी0 चैनल खुले हैं, प्रश्न उत्तर होते रहते हैं। 95 प्रतिशत काम पूरा हो जाने के पश्चात् इस प्रोजेक्ट पर काम न होना सरकार की हठधर्मिता का परिचायक है। मैं आह्वान करता हूं, इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्य मंत्री जी ने एक बैठक की थी और समाचार-पत्रों में छपा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 2 महीने के अन्दर गंगा बैराज का काम पूरा हो जाएगा, इस खबर को पढ़कर मैंने सुबह ही जाकर 'प्रसाद' चढ़ाया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो बात कहते हैं, वह पूरी हो जाती है, मुझे भी विश्वास था लेकिन दो महीने के बाद जब मैं गया तो काम वहीं का वहीं था। कुछ अधिकारी आए होंगे और कुछ चले गए होंगे, गंगा बैराज का काम बन्द था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी से आह्वान करता हूं कि वह कानपुर आयें और इस महत्वाकांक्षी योजना को देखें और इसको पूरा कराने के लिए निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। आपकी पूरी बात हो गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने दो बातें कहीं हैं माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी को कानपुर आने के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि जो घोषणा हुई थी उसको पूरा करें, मैं आपकी भावनाओं को शब्दशः माननीय मुख्य मंत्री जी तक इस तरीके से पहुंचा दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी संवेदनशील हैं वह इसको देख लेंगें।

(व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री, राजस्व ने जो बात कही है मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गयीं। श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, डा0 विनोद तिवारी, डा0 सुशील चौधरी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अवधेश कुमार वर्मा, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री राम प्रताप सिंह, श्री धर्मराज निषाद, श्री दद्दू प्रसाद, श्री प्रागी लाल अहिरवार, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री रामहेत भारती इसके अतिरिक्त नियम-311 में प्राप्त निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं श्री सतीश महाना, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), श्री दद्दू प्रसाद, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री श्याम सूरत अपाध्याय, श्री विवेक बंसल की सूचनाएं निरस्त की गयीं।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, हमारे यहां बाढ़ की बड़ी गम्भीर स्थिति है, चार गांव कट गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं। मैंने सभी सूचनाओं को निरस्त कर दिया है। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अगर इसी तरह से आप करेंगे तो हमारे लिए कठिन हो जायेगा और भी नियम हैं, जरूरी नहीं कि आप नियम-56 में लगायें।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, हमें सुन लें। हमारे यहां चार गांव कट गये हैं। आगे हमें विशेष उल्लेख पर दो मिनट के लिए सुन लें। वहां पर कटान को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि कट गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है सुन लीजिये, व्यवस्था सर्वोपरि होती है, डा0 विनोद तिवारी जी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम इकबाल सिंह, श्री लालजी वर्मा ने और हमने स्वयं नियम-311 में सूचना दी या विभिन्न नियमों में दी है, अब अगर घड़ी की तरफ देखें तो दो बजे हैं और कोई कार्य बाकी नहीं रहा है, मान्यवर, पर्याप्त समय है आप दो-दो मिनट हम सबको सुन लें, यह हमारा वायदा है कि कोई भी सदस्य दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा। दो मिनट सुनने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरा अनुरोध सुन लें, माननीय प्रमोद कुमार जी ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से जो बात कही है, मैं पीठ के फैसले के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप सोंचें मद संख्या-12 के प्रस्ताव को मैंने प्रस्तुत कर दिया है और यह रिकार्ड में है, इसलिये मान्यवर, जब मद संख्या-12 प्रस्तुत हो गई है तो उनके विचार को जिन नियमों में आप सुनना चाहें सुन लें, लेकिन उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार

करने के लिये आपने सदन में ले लिया है तो उसमें कार्य-स्थगन नहीं लिया जाना चाहिये। अब आप इस पर विचार कर लें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई यह नहीं कह रहा है कि आप इसे नियम-56 में ले लीजिये, सामान्यतः पांच बजे तक सदन चलना चाहिये, अभी तीन घण्टा बाकी है आप दो-दो, तीन-तीन मिनट में माननीय सदस्यों की बात को सुन लें।

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं नियम की बात करता हूं, इस मद को लिये जाने के बाद अब कार्य-स्थगन नहीं हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

सूखे पर चर्चा के लिये समय निर्धारित हो चुका है और सूखे पर जब चर्चा होगी तो उस समय मालगुजारी की वसूली और अन्य विषय पर भी सदन विचार कर लेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसमें समस्या यह है कि कृपा पूर्वक आपने एक बात कह दी कि जब चर्चा होगी तब मालगुजारी की वसूली पर चर्चा होगी, यहां पर तो वसूली का जिक्र ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि अभी बाराबंकी में एक आदमी ने इस व्यवस्था के चलते आत्महत्या कर ली, कल प्रतापगढ़ में करेंगे, परसों कहीं और करेंगे, जब सब आत्महत्या ही कर लेंगे तब इस पर विचार करने से क्या होगा ? आखिर इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा कहना तो यह है कि आप नियमों से चलें।

(व्यवधान)

(श्री हुकुम सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय हुकुम सिंह जी मद संख्या-12 को जब ले लिया गया है तो फिर पीछे कैसे जा सकते हैं। यह विषय समाप्त किया जाता है, मद संख्या-12 लें।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमागत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं इस मद को दोबारा पढ़े देता हूं। मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर से माल के उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये प्रवेश पर प्रवेश कर की देयता है तथा कर का दायित्व स्थानीय क्षेत्र में माल लाने व प्रवेश कराने वाले व्यापारी पर होता है। कोई बिजली निर्माता व्यापारी जब प्रदेश के व्यापारी से कच्चा माल व अन्य वस्तुओं की खरीद करता है तो विक्रेता व्यापारी

के विक्रय मूल्य में प्रवेश कर भी जुड़ा रहता है। इस प्रकार बिजली निर्माता इकाई द्वारा की गयी खरीद में प्रवेश कर शामिल रहता है।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे नहीं सुना जा रहा है, मैं इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करता हूं हमारे यहां बाढ़ की समस्या है। (व्यवधान)

(डा0 विनोद तिवारी सदन का बहिर्गमन कर चले गये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रदेश में गम्भीर ऊर्जा संकट है। पिछले 15 साल की अवधि में एक यूनिट के उत्पादन के लिये कोई नया प्लान्ट नहीं लगा है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई कोई काम शुरू न हो सका। वैसी स्थिति में, प्रदेश में नयी ऊर्जा नीति के तहत नये पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के प्रस्ताव सरकार स्वीकार कर रही है। मान्यवर, इस सरकार के उद्यम से ही चार हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन का प्रोजेक्ट गाजियाबाद में लग रहा है। टाटा पावर कं0 का भी दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है। मान्यवर, जो नयी ऊर्जा नीति की घोषणा हुई है, उसमें सरकार का मत है कि उस ऊर्जा नीति में सुविधायें दी जानी चाहिये। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतर सड़कों की कनेक्टीविटी दी जायेगी। जमीनों के भी अधिग्रहण के मामले में 20 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार देने का निर्णय ले रही है। रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प कर में सब्सिडी की व्यवस्था है, मान्यवर, इस तरह के कुल प्राविधान किये गये हैं। मान्यवर, यह एक औपचारिक प्रस्ताव इस संशोधन के रूप में लाना आवश्यक था, ऐसी सुविधाओं को देने के लिये यह संशोधन बड़ा आवश्यक था। निजी उद्यमियों को अपने छोटे मोटे सामान वहां ले आने पड़ते हैं प्रवेश कर के मौजूदा नियम में उसमें उनके सामने भारी कठिनाई होती। मान्यवर, बिजली उत्पादन की राह में उत्पन्न होने वाले अवरोध को दूर करने के लिये यह एक छोटा सा संशोधन लाया गया है। मेरा अनुरोध है कि इसकी भावना को देखते हुये इसको सारा सदन स्वीकार करने की कृपा करे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जो संशोधन अधिनियम में लाये हैं इसमें इस बात की व्यवस्था रहती कि जो भी उद्यमी पावर प्रोजेक्ट लगायेंगे सभी को सुविधा मिलेगी तो कोई आपत्ति नहीं होती। इसमें है कि राज्य सरकार जिसको चाहे जो एक हजार करोड़ रु0 के ऊपर का प्रोजेक्ट लगायेंगे और जिसको राज्य सरकार चाहे उन्हें छूट देगी और राज्य सरकार चाहे तो छूट नहीं देगी। मान्यवर, यह कहां उद्देश्य को पूरा करती है। निश्चित तौर पर उन लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं। उनको लाभ देने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, प्रदेश आज आर्थिक संकट से गुजर रहा है पूरे प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिये पैसा नहीं है। विभिन्न विकास योजनाओं के लिये पैसा नहीं है। माल कर और प्रवेश कर की वसूली करके प्रदेश में जो विकास की योजनायें हैं उनको पूरा करने का काम यह सरकार करती। किसी निजी एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिये यह लाया जा रहा है और इसकी वसूलयाबी से जो प्रदेश के लोगों को लाभ मिल सकता है उसको वंचित करने का प्रस्ताव है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो भी विधेयक यहां आये उसमें पारदर्शिता परलिक्षित होनी चाहिये वह नेक नीयती के साथ आये। आप इसमें प्रदेश की जनता को शब्दजाल का शिकार करने जा रहे हैं। कुछ वर्ग विशेष

या व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये विधान सभा का इस्तेमाल किया जा रहा है यह उचित नहीं है। आप जो सब्सिडी देना चाह रहे हैं उसका इसमें स्पष्ट उल्लेख कर देते। फिर उसमें उनके सरकार के पास आने की क्या आवश्यकता है कि इन मदों में छूट दी जायेगी। जो भी उसमें कवर हो जायेगा उसको उसमें छूट मिल जायेगा। फलां व्यक्ति सरकार के पास आयेगा और सरकार का विवेक होगा तो निश्चित रूप से इसकी मंशा कुछ व्यक्ति विशेष को छूट देने की है। मंत्री जी को इस पर पुनिर्विचार करना चाहिये। आपका इसको लाने का जो उद्देश्य है सारे प्रदेश और देश की जनता को पता है कि आपकी नीयत कहां जा रही है। कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके सारे कार्यक्रमों के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। उनके प्रभाव में आकर आप इस विधेयक को ला रहे हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है उससे कड़ुवाहट पैदा हो जायेगी। नाम पूरे प्रदेश की जनता को पता है। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इस फोरम का उस उद्देश्य के लिये इस्तेमाल न करें यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जितनी भी आशंकायें व्यक्ति की गयी हैं यह उन लोगों द्वारा की गयी हैं जिन्होंने विद्युत उत्पादन के लिये कोई उद्यम नहीं किया है। यह सरकार विचार करके न केवल इतने कम समय में अपनी नई नीति लाई बल्कि वहां काम प्लांट का शुरू हो गया है। उस पर शंका किया जाना उचित नहीं है। आप शंका न करें। सरकार विवेकर्शाल है इस पर पूरा विश्वास रखें। इस पर आगे समय ज्यादा लगेगा, आपने माननीय सदस्यों का विचार सुन लिया अब अगली मद लेने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उससे सहमत हूं और उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। ये ऊर्जा के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं उसमें सहूलियत पाने के बाद कुछ निश्चित लोगों को देने की बात कर रहे हैं। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि अभी आपने इंट्री टैक्स लगाया। प्रदेश में जो निजी यूनिट बिजली पैदा करते हैं, सरकार से लेते हैं साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट और जो निजी यूनिट बिजली पैदा करते हैं उसके ऊपर आपने बोझ बढ़ाया 5 प्रतिशत इन्ट्री टैक्स लगाकर एल0 डी0 ओ0 पर और एफ0ओ0 पर इससे 50 से 60 पैसा प्रति यूनिट बिजली महंगी पड़ती है कम सप्लाई की वजह से जो लोग बिजली का कनेक्शन नहीं लेते हैं उसके ऊपर आज हाउस में आप यह बात कह रहे हैं हम उन लोगों को सुविधा देने जा रहे हैं ताकि उस पर कम खर्च में बिजली पैदा हो सके। मान्यवर, कथनी और करनी में अन्तर कितना है। आप संवेदनशील हैं एक तरफ यह बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ इन्ट्री टैक्स ऐसी चीज में लगा रहे हैं जो विद्युत उत्पादन के लिये सहायक है, वांछित है एफ0ओ0 और एल0डी0ओ0 आज इसकी जरूरत है 5 प्रतिशत जो टैक्स लगाया है 4 प्रतिशत टैक्स उस पर पहले से लागू है उसके बाद 5 प्रतिशत टैक्स यहां पर लगाया है। चाहे आप हाउस की कमेटी बना दें चाहे अधिकारीगण की जो जाकर देख लें बिजली प्रति यूनिट 50 से 60 पैसा महंगी पड़ रही है। यह बिल किसलिये लाये हैं मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन समस्या है कि कुछ बात मद्देनजर रखनी है जिसकी वजह से 50 से 60 प्रति यूनिट पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है इस पर भी विचार कर लिया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 11 जून, 2004से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में उपधारा (2) के अन्त में और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूंजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर जिसका उपयोग या उपभोग उक्त इकाई द्वारा किया जाय, किसी व्यापारी द्वारा संदेय कर के दायित्व के दायी होने की अनुमति, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, दे सकती है।

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2003)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल आधनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अधिष्टाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अशोक सिंह चौहान-

माननीय अधिष्टाता महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने विशेष उल्लेख में बोलने के लिये मुझे समय दिया था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, तात्कालिक घटना है, उसी के बारे में बताना चाह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मंत्री जी ने पढ़ लिया है, अगर आप दो-दो मिनट ले लीजिये तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरा एक अनुरोध है कि इसी से कनेक्टेड अगली मद है। जिसकी अनुमति दी है, पहले यह ले लें, बाकी अपने विवेकानुसार आप जो निर्णय लें।

मैनपुरी जिलान्तर्गत कुसहरा टाउन एरिया में भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री और सभासद श्री अवध शुक्ल की हत्या विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्टाता-

पहले विशेष उल्लेख हो जाने दीजिये।

श्री अशोक सिंह चौहान-

मान्यवर, मैनपुरी जनपद के कुसहरा टाउन एरिया में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के महामंत्री और सभासद अवध शुक्ला की हत्या आज सुबह साढ़े 8 बजे कर दी गयी। उनके साथ एक व्यक्ति और था, उसकी भी हत्या की गयी। मान्यवर, मैनपुरी जनपद में लगातार हत्यायें हो रही हैं। यह हत्या एक भूमाफिया ने करवाई, वह भी मैनपुरी का ही है। मान्यवर, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि कुसहरा में 4-5 महीने पहले एक विवाद हुआ था, उस विवाद में यह भू-माफिया एक भू-खण्ड पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे तो उस परिप्रेक्ष्य में वहां की जनता ने उनको खदेड़ दिया था। चूंकि यह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सभासद थे, इसलिये इनकी हत्या कर दी गई। महोदय, इसी तरह आज से 7 दिन पहले डा0 राकेश वर्मा की हत्या की गई और हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गये। मैं इसलिये इसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं मैनपुरी में आम बात हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां सुबह मौजूद थे, उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए था, उनका क्षेत्र है, परन्तु इस समय वह उठ गये, इसलिये सदन इसका संज्ञान ले और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाय।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, प्रत्येक अपराध को रोकने के लिये जो भी व्यवस्था हो सकती है, वह की जाती है। इसमें सख्त निर्देश हैं, पूरे प्रदेश के लिये और माननीय सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री जी का तथा

मैनपुरी का जिक्र किया, वहां के लिये भी इस तरह के निर्देश है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, यदि कहीं कोई कार्यवाही न हो रही हो तो माननीय सदस्य बतायें, तो दिखवा लेंगे।

श्री अशोक सिंह चौहान-

डा0 राकेश वर्मा की हत्या 7 दिन पहले हो गयी, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

आप लिखकर दे दीजियेगा, हम दिखवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

शासन गम्भीर है, इन विषयों पर, जो आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

(मद संख्या-14 पुकारे जाने पर --विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे तथा श्री धर्मराज निषाद सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने लगे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारी बात को सुन लिया जाये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है।

श्री अधिष्ठाता-

विशेष उल्लेख का विषय समाप्त हो गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं पीठ के विवेक पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि विशेष उल्लेख का प्राविधान तभी है जब कोई घटना किसी माननीय सदस्य के साथ घटित हो जाए। इसलिए मान्यवर, यह सदन नियमों से चलना चाहिए।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमागत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायगा।

(2) यह 11 जून, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या-15 सन् 1948 की धारा-3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा-3 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(7) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जैसी विहित की जायं, राज्य सरकार उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुयी किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूंजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, ऐसे विक्रय, जो ऐसी इकाई के लिये किये जायें, से संबंधित व्यापारियों के व्यापार कर के दायित्व कर के दायित्व के लिये दायी होने की अनुज्ञा दे सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अनुज्ञा ऐसे उप व्यापारी के मामले में भी प्रदान की जा सकती है जिसका विक्रय ऐसी ऊर्जा क्षेत्र की इकाई द्वारा क्रय करने पर चरम बिन्दु पर हो जाये।

(8) ऐसी शर्तों के, जैसी विहित की जायं, अधीन रहते हुये, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती ह कि ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई की स्थापना के प्रारम्भ के समय विभिन्न वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय व्यापार कर की दर ऐसी इकाई द्वारा क्रय के सम्बन्ध में छूट की अवधि में नहीं बढ़ायी जायेगी।"

धारा-8 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-8 में, उपधारा (2-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

"(2-ख) अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार ऐसी शर्तों के, जैसी विहित की जाय, अधीन रहते हुये किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को स्वीकृत रूप में देय कर के भुगतान से अधिस्थगन दे सकती है।"

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सनू 2004

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए ?

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष का प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, यह सदन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने के लिये पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 10 फरवरी, 2004 को स्वीकृत हुआ था, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि यह सदन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने के लिये पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 10 फरवरी, 2004 को स्वीकृत हुआ था, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए, पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

ग्राम महरुआ, थाना बेबाना, विधान सभा क्षेत्र कटेहरी, जनपद अम्बेदकर नगर की निवासी शोभावती के साथ अत्याचार व उसकी हत्या विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज निषाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्रीमती विसुना देवी बेवा बिरजू निषाद, ग्राम-महरुआ, थाना-बेबाना, विधान सभा क्षेत्र कटेहरी, जनपद अम्बेदकर नगर में रहती है। इनके एक मात्र पुत्री शोभावती थी जिसका विवाह मीरमऊ ग्राम दरवन, थाना-अहिरौली, जिला अम्बेडकर नगर में हुआ था। इसके एक लड़का होने के बाद पति की मृत्यु हो गयी। पति की मृत्यु के बाद यह अपनी माँ की सेवा के लिए अपने पुत्र के साथ महरुआ में ही रहने लगी और मजदूरी करके जीवन-यापन करती थी। महरुआ में पेट्रोल पम्प के पास प्रहलाद सिंह का होटल है। शोभावती उस होटल पर बर्तन माँजने का काम करती थी। महरुआ के पप्पू पाण्डे और महरुआ चौकी का कांस्टेबिल संतोष पाल को पता चला की शोभावती के पेट में लगभग 7 माह का बच्चा है। दोनों ने प्रहलाद सिंह के पास जाकर धमकाया और उससे शोभावती का एबारसन कराने के लिए 6000 रुपया लेकर चले आये। दिनांक 11-6-04 को जब दोनों व्यक्तियों ने शोभावती के बच्चे को गिरवाकर पप्पू पाण्डे अपने घर लाकर दवा खिलाये तो उसकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद 12-6-04 को उसको दफना दिया गया। एस0डी0एम0 अकबरपुर को घटना की जानकारी हुई उसके बाद सी0ओ0 अकबरपुर के न होने पर सी0ओ0 टाण्डा के साथ 13-6-04 को लाश खुदवाकर

पोस्टमार्टम करवाया। पोस्ट मार्टम में बच्चेदानी में चीरा लगना बताया गया। उच्चाधिकारियों से बात करने के बाद भी दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रहलाद सिंह ने भी डी0आई0जी0 फैजाबाद को 14-7-04 को एप्लीकेशन दिया आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। महरुआ की पुलिस कोई कार्यवाही न करके धन उगाही कर रही है और शोभावती के 14 साल के लड़के को डराया-धमकाया जा रहा है। उसके साथ अन्याय हो रहा है। एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो रही है। इसलिए निवेदन है कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाए और मृतक परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

प्रदेश में सूखे से प्रभावित किसानों का उत्पीड़न किये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से चाहता हूं कि सरकार को निर्देशित करें, अवर्षण की स्थिति है, प्रदेश के कई जिले सूखे से प्रभावित हैं। गन्ना किसानों को बकाया मूल्य नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ अगर उन्होंने कोई कर्ज ले रखा है, चाहे वह कोआपरेटिव का हो या बैंक का, उसकी वसूलयाबी की जा रही है। एक तरफ उनको अपने गन्ने का बकाया मूल्य नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ उनको 14 दिन के लिए तहसील लॉकप में डाला जा रहा है। मान्यवर, सरकार को चाहिए कि जब तक गन्ना किसान की पर्चियों का भुगतान न हो तब तक किसानों की वसूलयाबी स्थगित कर दी जाए। बाराबंकी की घटना सर्वविदित है, ट्रैक्टर के दाम से ज्यादा दिया जा चुका था। वसूलयाबी के कारण ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही स्थिति पूरे प्रदेश के किसानों की है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह सही है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इस महत्वपूर्ण मामले को जिस क्रम में आना चाहिए उसी क्रम में आये।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रदेश में सूखे की वजह से किसानों के पास इतना भी नहीं है कि वह जो देय वसूली है उसे दे सके। मेरा विशेष उल्लेख के जरिए एक छोटा सा अनुरोध है कि किसानों के किसी भी तरह के कर्ज के वसूली में जो उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है वह रोक दी जाए। बाराबंकी में निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठाया गया है। बाराबंकी की पुनरावृत्ति प्रदेश के और जनपदों में न हो और पूरे प्रदेश में सन्देश चला जाए कि उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता-

सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक लाख रुपये तक के ऋण की वसूली के लिये किसी तरह की उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय इसके स्पष्ट निर्देश शासन द्वारा दिये जा चुके हैं। अगर किसी तरह से भुखमरी से मृत्यु हो जायेगी तो उसके लिये भी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। जिलाधिकारी उसके लिये जिम्मेदार होंगे। इस तरह से स्पष्ट शासनादेश 12 जुलाई को निर्गत किया गया है। आगे भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी।

"विधायक निधि" के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसको किसी दूसरे दिन ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, श्री राजपाल त्यागी जी का पत्र आया है कि वह इस समय विधान परिषद् में हैं। इसलिये इसको स्थगित करने का उन्होंने निवेदन किया है और कहा है कि इसके लिये कोई और तिथि निर्धारित कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या-16 पर निर्धारित "विधायक निधि" के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जो आज आधे घंटे की चर्चा निर्धारित है उसको आज स्थगित करके अगले किसी कार्य दिवस पर ले लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

क्या यह सदन राजस्व मंत्री जी के प्रस्ताव से सहमत है ? (प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 30 जुलाई, 2004 को नियम-56 की एक सूचना को नियम-51 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-51 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनाएं प्राप्त हुई :-

पहली सूचना श्री राम करन आर्य की जो मृतक आश्रित को पेंशन आदि का भुगतान व आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति दिये जाने के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

दूसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जो श्री रवीन्द्र सिंह, पुत्र श्री महात्मा सिंह सहायक अध्यापक, नेहरू इण्टर कालेज रतनपुरा, जनपद मऊ को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अवशेष पेमेंट न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तीसरी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जो जनपद आगरा में सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों स्कूलों के पास बिना लाइसेंस के खुले रूप में चल रही मीट की दुकानों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौथी सूचना श्री मदन चौहान की जो जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी घाट पर सुरक्षा हेतु नाविक तथा मोटर बोट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पांचवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र बिन्द की जो जनपद सोनभद्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बालू खनन का पट्टा वन विभाग के पक्ष में गलत ढंग से कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

छठी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जो प्रदेश में ईंट-भट्टा उद्योग को कच्चा माल कोयला की आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री सतीश महाना की जो कानपुर महानगर के विकास हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषित विशेष पैकेज को दिलाये जाने के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

आठवीं सूचना श्री डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जो जनपद जालौन में कालपी-मदरालालपुर सूर्य मंदिर सम्पर्क मार्ग के निर्माण की आवंटित धनराशि अन्य मद में खर्च कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

नवीं सूचना श्री विनय शाक्य की जो जनपद औरैया के विधुना क्षेत्रान्तर्गत पिछले वर्ष आंधी-तूफान में टूटे बिजली के तार व खम्भों पर विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

दसवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जो जनपद कौशाम्बी के मनौरी सरायअकिल कौशाम्बी मार्ग पर ससुर खदेरी नदी पर पुल का निर्माण रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

ग्यारहवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की जो जनपद लखीमपुर के कोतवाली सदर क्षेत्र में श्री सोवरन लाल निगम पुत्र श्री शिवराम निगम, मोहल्ला नौरंगाबाद डेरा रोड के घर पर हुई लूटपाट के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

बारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' की जो जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर-बधवा-सलाहपुर तथा अन्य मार्ग के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने एवं विद्युतीकरण तथा अन्य कार्य कराये जाने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तेरहवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की जो बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत तहसील मुख्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौदहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जो जनपद बरेली के आवंला क्षेत्रान्तर्गत अरिल नदी पर ग्राम पैगा के पास बने पुल पर पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-56 में प्राप्त है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह की जो देवरिया जनपद के तिलक किसान लघु माध्यमिक विद्यालय कम्हरिया के अध्यापक/कर्मचारियों का वेतन भुगतान कराये जाने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सोलहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जो उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 में संशोधन कराकर सभी वर्गों के व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थाओं को ग्राम सभा की भूमि पट्टे पर दिये जाने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सत्रहवीं सूचना श्री डा0 पी0 के0 राय की जो जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में बांसी नदी के तमुआन घाट पर बने पक्के पुल पर रेलिंग बनवाये जाने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

अठारहवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जो जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम सुक्खाखेड़ा की ग्राम सभा की खतौनी को सील कर दिये जाने से उत्पन स्थिति के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लल्लू सिंह, श्री नवाब सिंह नागर, श्री कालीचरन राजभर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री राम प्रताप सिंह, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्रीमती विद्या चौधरी, डा0 विनोद तिवारी, श्री सुखदेव राजभर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री अवधेश कुमार वर्मा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री मदन भैय्या, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री शिवेन्द्र सिंह "शिव बाबू", श्री रामपाल वर्मा, कुंवर बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री लालजी वर्मा, श्री जिआउद्दीन रिजवी, श्री धर्मपाल सिंह (दो सूचनाओं) श्री धर्मराज निषाद, श्री अमरजीत सिंह "जनसेवक", श्री राजेश कुमार, श्री रामहेत भारती, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सुशील चौधरी।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं। 2 जुलाई को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 2 बजकर 36 मिनट पर सोमवार, दिनांक 2 अगस्त, 2004 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 30 जुलाई, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

देखिये अता0 प्र0 सं0-7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12पर

नलकूप सिंचाई रोस्टर

ग्राम-ग्वारी विकास खण्ड-भावलखेड़ा जिला शाहजहांपुर कूप सं0-16

क्र0सं0	दिनांक	नाम कृषक/पिता/पति का नाम सहित	जाति	ग्राम का नाम	जिन्स	कुल क्षेत्रफल	रकवा असल	रकवा वाटरिंग	गूल नम्बर	अन्य विवरण
1	1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	रामं कुमार पुत्र श्री होरी	किसान	ग्वारी	ईख	1.44	1.44	1.44	ए0	
2	तदैव	माखन पुत्र श्री चस्पा	तदैव	तदैव	तदैव	3.00	3.00	3.00	ए0	
3	तदैव	लालाराम पुत्र श्री रामस्वरूप	तदैव	तदैव	तदैव	1.16	1.16	1.16	ए0	
4	तदैव	लालजीत पुत्र श्री रामस्वरूप	तदैव	तदैव	तदैव	1.16	1.16	1.16	बी0	
5	तदैव	हरीनाथ पुत्र श्री अजुददी	तदैव	तदैव	तदैव	1.16	1.16	1.16	बी0	
6	तदैव	रामरिखी पुत्र श्री मंगा	तदैव	तदैव	तदैव	4.00	4.00	4.00	सी0	
7	तदैव	नन्हे पुत्र श्री तुला	तदैव	तदैव	तदैव	2.00	2.00	2.00	सी0	
8	तदैव	वेदराम पुत्र श्री तुला	तदैव	तदैव	तदैव	2.00	2.00	2.00	सी0	
9	तदैव	जगन्नाथ पुत्र श्री लल्लू	तदैव	तदैव	तदैव	2.00	2.00	2.00	सी0	
10	तदैव	पंचम पुत्र श्री आशाराम	तदैव	तदैव	तदैव	1.32	1.32	1.32	सी0	

ह0
राम पाल वर्मा (प्रधान)
ग्राम ग्वारी वि0ख0 भावलखेड़ा,
जिला शाहजहांपुर

ह0
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम ग्वारी विकास खण्ड
भावलखेड़ा, जिला शाहजहांपुर

(नलकूप सिंचाई रोस्टर, वर्ष 2004-05) फसल-खरीफ ग्राम नुसरतपुर उर्फ बाडी
गांव विकास खण्ड-भावलखेड़ा, जिला शाहजहांपुर कूप सं0-14

क्र0सं0	दिनांक	नाम कृषक/पिता/पति का नाम सहित	जाति	ग्राम का नाम	जिन्स	कुल क्षेत्रफल	रकवा असल	रकवा व वाटरिंग	गूल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	इश्तियाक पुत्र श्री नामदार खां	पठान	नुसरतपुर उर्फ बाडी गांव	लोबिया	0-16	0-16	0-16	ए0
2	तदैव	मो0 बली पुत्र श्री मो0 शफी	अंसारी	तदैव	धान	1-00	1-00	1-00	ए0
3	तदैव	कल्लू पुत्र श्री मेंहदी हसन	पठान	तदैव	धान	1-32	1-00	1-00	ए0
4	तदैव	तौकीर पुत्र श्री कबीर	पठान	तदैव	ईख	0-82	0-82	0-82	ए0
5	तदैव	सादिक पुत्र श्री आबिद	शेख	तदैव	तदैव	0-80	0-80	0-82	ए0
6	तदैव	कास्मि पुत्र श्री तालिब	शेख	तदैव	तदैव	1-60	1-60	1-60	ए0
7	तदैव	जांबर पुत्र श्री हबीबुल्ला	मसूरी	तदैव	तदैव	1-00	1-00	1-00	ए0
8	तदैव	जुल्फिकार पुत्र श्री हबीबुल्ला	मसूरी	तदैव	तदैव	0-82	0-82	0-82	ए0
9	तदैव	सज्जाद पुत्र श्री रहमशेर	पठान	तदैव	धान	0-48	0-48	0-48	ए0
10	तदैव	इदरीस पुत्र श्री लतीफ	पठान	तदैव	धान	1-36	1-36	1-36	ए0
11	तदैव	युसुफ पुत्र श्री अशरफ अली	पठान	तदैव	ईख धान	1-36	1-36	1-36	बी0
12	तदैव	इरशाद पुत्र श्री खुर्शीद	पठान	तदैव	ईख	1-60	0-65	0-65	बी0
13	तदैव	मो0 बली पुत्र श्री मो0 शफी	अंसारी	तदैव	धान	1-32	1-32	1-32	बी0
14	तदैव	ऐजाज खां पुत्र श्री अनवार खां	पठान	तदैव	धान	3-60	3-00	3-00	बी0
15	तदैव	जलील खां पुत्र श्री अकबर खां	पठान	तदैव	धान	1-32	1-32	1-32	सी0

16	तदैव	शाकिर अली पुत्र श्री महमूद अली	पठान	तदैव	ईख	0-80	0-80	0-80	सी0
17	तदैव	किश्वर अली पुत्र श्री हशमत अली	पठान	तदैव	धान	0-80	0-80	0-80	सी0
18	तदैव	हाशिम पुत्र श्री साबिर अली	पठान	तदैव	ईख	0-48	0-48	0-48	सी0
19	तदैव	अब्दुल अली पुत्र श्री मासूम अली	पठान	तदैव	धान, ईख	1-32	1-32	1-32	सी0
20	तदैव	रहमत अली पुत्र श्री अकबर अली	पठान	तदैव	धान	0-32	0-32	0-32	सी0
21	तदैव	लताफत पुत्र श्री शफी उल्ला	पठान	तदैव	ईख, धान	1-28	1-28	1-28	सी0
22	तदैव	भूरे पुत्र श्री मेंहदी हसन	पठान	तदैव	ईख	1-28	1-28	1-28	सी0
23	तदैव	जाकिर अली पुत्र श्री मेंहदी हसन	पठान	तदैव	ईख	0-64	0-64	0-64	सी0
24	तदैव	मुसर्रत पुत्र रफीख खां	पठान	तदैव	ईख	0-64	0-64	0-64	सी0
25	तदैव	शराफत पुत्र श्री शफी उल्ला							

ह0
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नुसरतपुर उर्फ
बाडी गांव विकास खण्ड
भावलखेड़ा, जिला शाहजहांपुर

उ0प्र0 राजपत्र भाग

नलकूप सिंचाई रोस्टर, वर्ष 2004-05, फसल खरीफ

ग्राम-नुसरतपुर उर्फ बाडी गांव-मजरा दिवारपुर भरकर-विकास खण्ड-भावलखेड़ा, जिला शाहजहांपुर कूप सं0-102

एस0आर0 नं0	दिनांक	नाम कृषक/पिता/पति का नाम सहित	जाति	ग्राम	जिन्स	कुल क्षेत्रफल	रकवा असल	रकवा वाटरिंग	गूल नम्बर
1	1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	मुंशी सिंह एस0 ओ0 जंगी सिंह	ठाकुर	दिलावरपुर भरकर	ईख धान	4-16	4-16	4-16	ए0
2	तदैव	ठारेश्वर एस0/ओ0 द्वारिका	पाल	तदैव	तदैव	0-48	0-48	0-96	ए0
3	तदैव	जागन एस0/ओ0 पक्खा	तदैव	तदैव	ईख धान	1-60	1-60	1-60	ए0
4	तदैव	दृग पाल एस0/ओ0 छोटे	तदैव	तदैव	ईख धान	2-16	0-72	1-44	बी0
5	तदैव	बीर पाल एस0/ओ0 छोटे	तदैव	तदैव	धान	2-16	0-72	1-44	बी0
6	तदैव	खुशीराम एस0/ओ0 छोटे	तदैव	तदैव	तदैव	0-80	0-80	0-80	बी0
7	तदैव	नेवाराम एस0/ओ0 छोटे	तदैव	तदैव	तदैव	0-80	0-80	0-80	बी0
8	तदैव	राम औतार एस0/ओ0 इतवारी	तदैव	तदैव	तदैव	0-48	0-48	0-48	बी0
9	तदैव	लाखन सिंह एस0/ओ0 मथुरा सिंह	ठाकुर	तदैव	तदैव	1-00	1-00	1-00	बी0
10	तदैव	रामेश्वर सिंह एस0/ओ0 टीका सिंह	तदैव	तदैव	ईख धान	0-48	0-48	0-48	बी0

ह0
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-नुसरतपुर बाडी गांव
विकास खण्ड भावलखेड़ा।

ह0
संबंधित प्रधान
ग्राम पंचायत नुसरतपुर उर्फ
बाडीगांव, विकास खण्ड
भावलखेड़ा।

पी0एस0यू0पी0-एल0 230 विधान सभा (430)-17-12-04-813 (कम्प्यूटर)।